PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

दिसम्बर 2019 | अंक–1

भारत में पवन ऊर्जा

संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

- चुनावी बॉण्ड की पारदर्शिता एवं विवाद
- ग्रामीण भारत में गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप
- भारत में बाल अधिकार : एक विश्लेषण
- डिजिटल डेमोक्रेसी : उदार लोकतंत्र के लिए खतरा
- रणनीतिक विनिवेश : आर्थिक विकास में कितना सहायक
- भारत के जनांकिकीय श्रम बल लाभांश में वृद्धि : एक अवलोकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**10 Full Length GS Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**5 CSAT Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741
For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

दिसम्बर-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में पवन ऊर्जा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- चुनावी बॉण्ड की पारदर्शिता एवं विवाद
- ग्रामीण भारत में गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप
- भारत में बाल अधिकार : एक विश्लेषण
- डिजिटल डेमोक्रेसी : उदार लोकतंत्र के लिए खतरा
- रणनीतिक विनिवेश : आर्थिक विकास में कितना सहायक
- भारत के जनांकिकीय श्रम बल लाभांश में वृद्धि : एक अवलोकन

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में पवन ऊर्जा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर चीन और अमेरिका ने पवन ऊर्जा से संबंधित अपनी शक्ति दोगुनी कर ली है। वैश्विक विद्युत उत्पादन के अक्षय ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा का भाग बढ़ रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने बताया है कि अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना आन्तरिक पवन ऊर्जा से कहीं अधिक है। इस क्षेत्र में निवेश की आकर्षक संभावनाएँ हैं।

परिचय

किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। समाज की प्रत्येक गतिविधि के लिए ऊर्जा के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है, चाहे प्राकृतिक गतिविधि हो या मनुष्य अथवा मशीन की गतिविधि।

मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले तमाम साधन, उद्योगों में उत्पादन के लिए लगी मशीनें, कृषि यंत्र, यातायात के साधन आदि सभी ऊर्जा से ही संचालित होते हैं जिसमें परम्परागत जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा या गैर-परम्परागत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

परम्परागत जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के ऐसे गैर-नवीकरणीय स्रोत हैं जिनका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है साथ ही ये वैश्विक तापन एवं पर्यावरणीय क्षरण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत गैर-परम्परागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बार-बार किया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी नहीं होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा बायोमास आदि आते हैं।

हाल के वर्षों में भारत ने आधुनिक ऊर्जा की पहुँच में काफी प्रगति की है। वर्ष 2000 के बाद से भारत में बिना बिजली के पहुँच वाले लोगों की संख्या आधी हुई है और ग्रामीण विद्युतीकरण की दर दो गुनी हो गयी है। फिर भी लगभग 20% आबादी बिजली की पहुँच से दूर है। सभी तक बिजली की पहुँच और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में पवन ऊर्जा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

पवन ऊर्जा क्या है

बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा प्रकृति पर निर्भर रहती है और यह कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो पवन ऊर्जा का तात्पर्य वायु से गतिज ऊर्जा को यांत्रिकी और विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलना है।

पवन ऊर्जा की संभावना

विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से पवन ऊर्जा एक प्रमुख स्वीकृत स्रोत है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पवन की उपलब्धता निःशुल्क और कभी समाप्त नहीं होने वाली है। किसी भी देश या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का इस पर एकाधिकार नहीं है, जैसा कि सीमित जीवाश्मीय ईंधनों के साथ है। चूंकि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के बदले निश्चित रूप से पवन ऊर्जा एक आसान विकल्प साबित हो सकता है।

प्राचीन काल में पवन ऊर्जा का उपयोग नावों और जलपोतों को चलाने में किया जाता था। फिर इस ऊर्जा का उपयोग पनचक्कियों में पाइपों द्वारा पानी को उठाने में किया जाने लगा। अब वैज्ञानिकों ने पवन वेग से टरबाइनों को चला कर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। उम्मीद है कि पवन टरबाइनों के जरिए अब पूरे विश्व की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

वर्तमान में महासागर और वायुमंडलीय परिसंचरण के पैटर्न में बदलाव के कारण वैश्विक स्तर पर हवा की गति में वृद्धि हो रही है। इस बढ़ोत्तरी का लाभ पवन ऊर्जा के उत्पादन के रूप में मिल सकता है। वर्ष 2010 के बाद से जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर हवा की गति में हुई बढ़ोतरी से पवन ऊर्जा के उत्पादन में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

हवा की गति का जो अनुमान लगाया गया है उससे वर्ष 2024 तक पनचक्कियों से उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा प्रति घंटे 3.3 मिलियन किलोवाट बढ़ जाएगी।

वर्ष 2018 के अंत तक, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता (स्थापित) करीब 591,549 मेगावाट थी, जो कि 2017 की तुलना में 9.6 फीसदी अधिक है। जबकि भारत में इसकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 35,129 मेगावाट है।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का अनुमान है। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में वार्षिक निजी निवेश 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का हो सकता है।

वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जर्मनी में कोयले और पेट्रोल की जगह सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जर्मनी ने पिछले सालों में जीवाश्म उर्जा पर निर्भरता कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला किया और इसके लिए वहां लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

जर्मनी 2050 तक जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है।

इसके बाद यहां हर काम के लिए अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होगा।

चूँकि अपतटीय क्षेत्रों में वायु का बहाव तटीय प्रभाव के चलते आंतरिक भागों की तुलना में अधिक और निरंतरता के साथ होता है जिससे अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के संभावनाएं और बढ़ ताजी हैं। विश्व के विभिन्न देश अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर जोर दे रहे हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा

भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में एक गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरूआत गुजरात में की है। अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाओं में गुजरात और तमिलनाडु सबसे समृद्ध राज्य हैं। वर्ष 2022 तक अपतटीय पवन ऊर्जा से 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य घोषित किया गया है।

विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त एनआईडब्ल्यूई ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन किया है। प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि गुजरात और तमिलनाडु के तट पर अच्छी क्षमता मौजूद है। यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित फोविंड परियोजना के तहत, गुजरात और तमिलनाडु में आठ-आठ जोन की पहचान अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए की गई है।

वैश्विक रूप से, अपतटीय पवन ऊर्जा का लगभग तीन दशक पुराना इतिहास है, दिसंबर 2018 तक 17 विभिन्न देशों में कुल स्थापना क्षमता 23.35 गीगावाट की है, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं- यूके (6,836 मेगावाट), जर्मनी (6,410 मेगावाट), चीन (4,558 मेगावाट), डेनमार्क (1,358 मेगावाट), नीदरलैंड (1,118 मेगावाट), बेल्जियम (1,178 मेगावाट) और स्वीडन (206 मेगावाट)। 'विंड यूरोप आउटलुक' के अनुसार 2030 तक यूरोप में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट तक पहुँच सकती है। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 400 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन 2045 तक संभव हो सकता है।

भारत, कोरिया, बांग्लादेश और चीन अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं अन्य देश जैसे- जापान, कनाडा आदि भविष्य के अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। अपतटीय पवन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाहर कई नये बाजारों में खुद को स्थापित करने के लिए तैयार है। यदि वर्तमान नीतियों के संदर्भ में देखा जाये तो 2040 तक कोरिया, भारत और जापान की संयुक्त क्षमता 60 GW तक हो जायेगी।

बढ़ती ऊर्जा की माँग एवं पर्यावरणीय महत्त्व

इस वक्त दुनियाभर में ऊर्जा का महत्व काफी बढ़ गया है। ऊर्जा की कमी से जूझ रहे देश भी अब सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत पर अपनी निर्भरता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुँच गया है। भारत के बाद क्रमशः स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस का नाम आता है।

वैश्विक रैंकिंग के दृष्टिकोण से चीन सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक देश है इसके द्वारा स्थापित कुल क्षमता 22.1 गीगावाट है। वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि दूसरा बड़ा उत्पादक देश है जिसकी क्षमता 964 गीगावाट है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश जर्मनी है जिसकी स्थापित क्षमता 59.3 गीगावाट है।

ऊर्जा उत्पन्न करने के वैकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग की दिशा में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। जिस गति से भारत में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है उससे साल 2050 तक बिजली के अन्य स्त्रोतों पर निर्भरता काफी कम होने वाली है।

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए देश के सभी राज्य भरसक प्रयास कर रहे हैं। साल 2017 में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए बैंक से ऋण लिए और कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के 1,75,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 34,000 मेगावाट थी, जो सितंबर 2019 में बढ़कर 82,580 मेगावाट हो गई है और 31,150 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के लिये प्रयास विभिन्न चरणों में है।

भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से एवं पाँच गीगावाट लघु पनबिजली से, नवीकरणीय ऊर्जा को संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा योजना, नहर के बांधों तथा नहरों के ऊपर सीपीयू सोलर पीवी पॉवर प्लांट के लिए सौर योजना, सोलर पंप, सोलर रूफटॉप के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

स्वदेशी नवीकरणीय संसाधनों के बढ़ते उपयोग से महंगे आयातित जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता में कमी आने की उम्मीद है। लगभग 3 प्रतिशत बंजर भूमि के अनुमान के साथ भारत के पास 1096 गीगावाट की वाणिज्यिक अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें पवन - 302 गीगावॉट; लघु हाइड्रो - 21 गीगावाट; जैव ऊर्जा - 25 गीगावाट; और 750 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है।

दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये ऊर्जा के नए विकल्पों के लिए शोध हो रहे हैं क्योंकि सतत व संधारणीय विकास के लक्ष्य को स्वस्थ पर्यावरण द्वारा ही प्राप्त करना संभव है। ध्यातव्य है कि कोयले और प्राकृतिक गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बढ़ा है जिसका शुष्क हवा की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक घनत्व है। इस गैस ने पृथ्वी से उत्पन्न गर्मी को पर्यावरण में ऊपर जाने से रोक दिया है। इसी का परिणाम है कि तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ रही है। यह गर्मी ही जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है।

पवन ऊर्जा के लाभ

- **स्वच्छ ऊर्जाः** पवन ऊर्जा, अन्य ऊर्जा की तुलना में काफी स्वच्छ है। पवन ऊर्जा को उत्पादित करने वाली टरबाइन किसी भी प्रकार का वायुमण्डलीय उत्सर्जन नहीं करती जिनसे ग्रीनहाउस गैस व एसिड वर्षा जैसी समस्या उत्पन्न हो।
- **सस्ती ऊर्जाः** पवन ऊर्जा कम लागत प्रभावी ऊर्जा है, यह आज उपलब्ध सबसे कम कीमत वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से एक है।
- **सुविधाजनकः** टरबाइन को किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में दैनिक कार्य किये जा सकते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग कई कार्यों के लिये किया जाता है, जैसे कि पानी की पंपिंग, बैटरी को चार्ज करने के लिये, बिजली का व्यापक उत्पादन करने के विकल्प के रूप में आदि।

- **यह सुरक्षित है:** पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन सुरक्षित है। आधुनिक एवं उन्नत माइक्रोप्रोसेसरों के प्रयोग से संयंत्र पूर्णतः स्वचालित हो गया है तथा संयंत्र के परिचालन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं होती है।
- **अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं:** पवन चालित प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसे हर स्थान पर जहाँ वायु की स्थिति अनुकूल होती है लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे पहाड़ी के शिखर पर, समतल भू-प्रदेश पर, वनों तथा मरुस्थलों तक में लगाया जा सकता है। संयंत्र को अपतटीय क्षेत्रों तथा छिछले पानी के साथ कृषि योग्य भूमि पर भी लगाया जा सकता है।

पवन ऊर्जा के विकास में बाधाएँ

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार के मजबूत सहयोग के बावजूद 2022 तक के लक्ष्य के प्राप्ति में पवन ऊर्जा के विकास में कई बाधाएं हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र समवर्ती सूची का विषय है जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मतभेद और स्थानीय मुद्दे को तरजीह दिये जाने से अवसंरचनात्मक विकास में बाधा आती है। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएँ हैं जिन्हे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- दक्षिण के प्रमुख राज्यों के अंतर्विरोधों के चलते पारेषण लाइनों (Transmission Lines) के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।
- अवसंरचना विकास के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है।
- बिजली उत्पादन कम्पनी में वित्त एवं तकनीकी की कमी ने भी पवन ऊर्जा के प्रभावी विकास में बाधा उत्पन्न की है।
- पवन ऊर्जा की उत्पत्ति और उपयोगिता की कुछ सीमाएं हैं। पवन स्थल की दूरी शहरों से अधिक है। टरबाइनों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। टरबाइनों के ब्लेड से स्थानीय वन्य जीवों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
- केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य की वितरण कंपनियों ने फरवरी 2017 से 12,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की पवन ऊर्जा का आवंटन किया है। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है और वित्त वर्ष 2018-19 में केवल 1,600 मेगावाट का इजाफा हुआ। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे और पारेषण संपर्क के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई देरी इसकी संभावनाओं को सीमित कर देती है।

पवन ऊर्जा वृद्धि के लिये प्रयास

पवन ऊर्जा सम्मेलन का प्रथम संस्करण 25-28 सितंबर 2018 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 व्यापार, नेटवर्किंग तथा सूचना के लिहाज से पवन ऊर्जा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

पवन ऊर्जा से सम्बन्धित इस सम्मेलन में 1400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। यह विश्व का सबसे बडा पवन ऊर्जा कार्यक्रम था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क, व्यापार एवं दुनियाभर में लोगों के बीच पवन ऊर्जा का प्रसार करना था।

इस पवन ऊर्जा कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन एवं डेनमार्क आदि भी शामिल थे। इस सम्मेलन में दुनियाभर से आये विशेषज्ञों को इको-फ्रेंडली तकनीक के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सका। वैश्विक पवन उर्जा सम्मेलन के तीन मुख्य विषय थे- गतिशील बाजार, कम लागत, स्मार्ट ऊर्जा। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत की कई कंपनियां हिस्सा ले रही थीं। यह कार्यक्रम पवन ऊर्जा की दिशा में सभी को आकर्षित करने में सफल रहा।

आगे की राह

वर्तमान पर्यावरण ह्रास को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीनीकृत ऊर्जा के संभाग को बढ़ाया जाए ताकि विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पाँचवीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन दहन एवं उद्योगों के कारण लगभग 78 प्रतिशत तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर तटीय पवन ऊर्जा को बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके लिये उत्तरी सागर के डोगर बैंक पर कृत्रिम द्वीप बनाया जाना है। भारत में पवन ऊर्जा विकास के लिये तटीय क्षेत्रों में पौधों को लगाया जाना होगा। पवन टॉवरों की उन्नत तकनीकी का प्रयोग करना होगा, साथ ही जैव-ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबन्धन ऊर्जा एवं भूतापीय तथा समुद्री ऊर्जा के विकास के लिये नई प्रौद्योगिकी को बढ़ाना होगा जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

2. चुनावी बॉण्ड की पारदर्शिता एवं विवाद

चर्चा का कारण

हाल ही में चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond) को औपचारिक भ्रष्टाचार का स्रोत बताते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया। इसके फलस्वरूप चुनावी चंदे की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है।

परिचय

वर्ष 2017 के बजट से पहले यह नियम था कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार रुपये से कम का चंदा मिलता है तो उसे चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। इसी का फायदा उठाकर अधिकतर राजनीतिक दल कहते थे कि उन्हें जो भी चंदा मिला है वह 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति से कम है इसलिए उन्हें इसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के चलते देश में काला धन पैदा होता था और चुनाव में इस धन का इस्तेमालकर चुनाव जीत लिया जाता था। कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह दिखाया कि उन्हें 80-90 प्रतिशत चंदा 20 हजार रुपये से कम राशि के फुटकर दान के जरिये ही मिला था। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने गुमनाम नकद दान की सीमा को घटाकर 2000 रुपये कर दिया अर्थात् 2000 रुपये से अधिक का चंदा लेने पर राजनीतिक पार्टी को यह बताना होगा कि उसे किस स्रोत से चंदा मिला है।

चुनावी बॉण्ड की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष

2017-18 के बजट में चुनावी बॉण्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉण्ड से मतलब एक ऐसे बॉण्ड से होता है, जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी कीमत लिखी होती है। इस बॉण्ड का प्रयोग व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को रकम दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नकद चंदे के रूप में दो हजार से बड़ी रकम नहीं ली जा सकती है। चुनावी बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख तथा एक करोड़ रुपये के मूल्य के होते हैं, जो बॉण्ड खरीदे जाने के केवल 15 दिनों तक ही मान्य रहते हैं। इसका आशय है कि इन्हें खरीदने वालों को 15 दिनों के अंदर ही राजनीतिक दल को देना पड़ता है और राजनीतिक दलों को भी इन्हीं 15 दिनों के अंदर इसे कैश कराना होता है। इसमें दानदाता का नाम नहीं होता है जिसको लेकर सरकार की दलील है कि चूंकि बॉण्ड पर दानदाता का नाम नहीं होता है, नतीजतन पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता चल पाता है। सिर्फ बैंक जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया है। इस प्रकार इसका मूल मंतव्य है कि पार्टी अपनी बैलेंसशीट में चंदे की रकम को बिना दानदाता के नाम के जाहिर कर सके। सरकार की ओर से चुनावी बॉण्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से यह काम करता है। स्मरणीय हो कि चुनावी बॉण्ड को लाने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट-2017 के जरिये रिजर्व बैंक एक्ट-1937, जनप्रतिनिधित्व कानून -1951, आयकर एक्ट-1961 और कंपनी एक्ट में कई संशोधन किए थे।

सरकार ने इस बॉण्ड योजना को दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया जिसके मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित संस्था चुनावी बॉण्ड खरीद सकती है। चुनावी बॉण्ड खरीदने के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था के खाते का केवाइसी वेरिफाइड होना आवश्यक होता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां तथा पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में जनता का कम से कम एक फीसद वोट हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ ही चुनावी बॉण्ड के जरिये पैसे ले सकती हैं। चुनावी बॉण्ड पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

चुनावी बॉण्ड और चुनाव आयोग

हाल ही में आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को दो मौकों पर राज्य विधानसभा चुनावों के लिए समय से पहले चुनावी बॉण्ड की बिक्री को मंजूरी देने के लिए विशेष विंडो खोलने को कहा, जबकि नियम के मुताबिक बॉण्ड की बिक्री के लिए विशिष्ट अवधि निर्धारित है। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बॉण्ड का विरोध करते हुए कहा था कि हम चुनावी बॉण्ड के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि दानदाताओं के नाम गोपनीय रखने के खिलाफ हैं। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि गोपनीयता के कारण रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा-29 बी के तहत कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच में चुनाव आयोग को कठिनाइयाँ आ रही हैं।

गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी शक्तियां प्रदान करता है। ऐसे में चुनाव आयोग के चुनावी बॉण्ड के प्रति विरोध को सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त महत्व दिया।

उल्लेखनीय है कि चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एडीआर ने भी उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉण्ड की रकम को सार्वजनिक करने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने इसके लिए आम चुनाव खत्म होने तक प्रतीक्षा करने को कहा, मगर उसकी इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वह मामले को विस्तार से देखेगा। चुनाव सुधार की दिशा में इसे बेहतरीन कदम माना गया और उम्मीद जगी कि जल्द ही देश में राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित एक ऐसा पारदर्शी ढांचा बन सकेगा, जहाँ राजनीतिक दलों के 'अज्ञात स्रोत' वाले चंदे का मॉडल समाप्त हो जायेगा।

सरकारी प्रयास

भारतीय राजनीति में चुनावी चंदे का मामला हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहा है नतीजतन चुनावी चंदा देने के तरीकों में लगातार बदलाव होते रहे हैं, चुनावी बॉण्ड योजना इसी कड़ी का एक हिस्सा भर है। इस संदर्भ में अब तक चुनावी चंदे में पारदर्शिता के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को निम्नबिन्दुओं के अंतर्गत देख सकते हैं-

- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29-बी में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है। परन्तु 1968 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- 1974 में कंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इसके अगले ही वर्ष संसद ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानून बनाया। 1985 में कंपनी अधिनियम में संशोधन कर कॉर्पोरेट फंडिंग को लाया गया जिसके मुताबिक कंपनियाँ पिछले तीन वर्षों में हुए अपने औसत शुद्ध लाभ का पाँच फीसद तक दान कर सकेंगी।
- चुनावी फंडिंग में और अधिक परिवर्तन तब किया गया, जब दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट, 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट, 1998 ने चुनावों में आंशिक राज्य वित्तपोषण की सिफारिश की बात कही।
- गौरतलब है कि 2003 में सरकार द्वारा व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फंडिंग को पूर्ण रूप से कर-मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसकी सीमा तय कर दी गई जिसके अनुसार 20 हजार रुपए से कम की नकद राशि चंदे के रूप में दी जा सकती है। इसमें दानकर्त्ता का पहचान बताना भी जरूरी नहीं था।
- इस व्यवस्था के पश्चात् कुछ ही वर्षों में चुनावी फंडिंग के कई संदेहास्पद मामले सामने आये जिसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें 20 हजार रुपए की सीमा को घटाकर 2 हजार रुपए करने की बात कही गई थी।

चुनौतियाँ

राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के तमाम दावों के बीच चुनावी बॉण्ड पर भी अपारदर्शी होने का आरोप लगने लगा। इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- राजनीतिक दलों की फंडिंग में अज्ञात स्रोतों से आने वाले आय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पिछले 15 वर्षों में अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले राजनीतिक दलों के चंदे की मात्रा काफी ज्यादा रही, लेकिन चुनावी बॉण्ड से भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया।
- इस योजना के कई स्याह पक्ष हैं जैसे पार्टियों के व्यय की कोई तय सीमा नहीं रखी गई है साथ ही चुनाव आयोग इसकी निगरानी भी नहीं कर सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि जो राशि आ रही है वह काला धन है या फिर सफेद, क्योंकि दाता गोपनीय होता है। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि उक्त योजना दाता की पूरी गुमनामी की सुविधा प्रदान करता है। दरअसल यह योजना न तो बॉण्ड के खरीददार और न

ही दान प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी की पहचान का खुलासा करने को बाध्य है।

- कुछ लोगों का मानना है कि बॉण्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखे जाने से यह प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगा और राजनीति में भ्रष्टाचार बना रहेगा।
- इसके अतिरिक्त इस योजना में किसी दानकर्त्ता कंपनी को दान करने से कम से कम तीन साल पहले अस्तित्व में होने की पूर्व शर्त को भी हटा दिया गया। यह शर्त शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को राजनीति में खपाने से रोकती थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनावी बॉण्ड के मामले पर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस तरह से चुनावी बॉण्डस की बिक्री को लेकर बैंकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इससे लगता है कि यह काले धन को सफेद करने का एक तरीका भर है।
- विदित हो कि कम्युनिस्ट पार्टी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएँ दायर कर चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्त्ताओं ने कहा है कि यह योजना अपारदर्शी फंडिंग सिस्टम है जिस पर कोई निगरानी नहीं है। इसके अलावा बॉण्ड में बरती गई गोपनीयता से कॉर्पोरेट हाउसों को फायदा होगा, क्योंकि इसमें बॉण्ड प्राप्त करने वाले राजनैतिक दलों के नाम का खुलासा नहीं करने का प्रावधान है। ऐसे में राज्य की सरकारी नीतियों में कॉर्पोरेट के निजी हित को प्राथमिकता मिल जायेगा और आम जनता का हित पीछे रह जायेगा।
- चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता बड़े दानदाताओं द्वारा सरकार को 'कैप्चर' करने जैसा है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता जितनी कम होगी, कॉर्पोरेट घरानों के लिये उतना ही आसान होगा कि वे जो बात चाहें सरकार से मनवा सकें।
- गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के अनुसार, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का 69 फीसद हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है। जाहिर है यह आँकड़ा विधि आयोग की चिंता को और बढ़ाने जैसा है।
- आरबीआई ने 30 जनवरी, 2017 को लिखे एक पत्र में कहा था कि यह योजना पारदर्शी नहीं है, साथ ही यह मनी लांड्रिंग कानून को कमजोर करती है। इससे केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दानदाताओं के नामों को उजागर न करने और घाटे में चल रही कंपनियों जो केवल शेल कंपनियों के स्थापित होने की संभावनाएं खोलती हैं, को बॉण्ड खरीदने की अनुमति देने को लेकर चिंता जताई थी।
- कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि चूंकि इन बॉण्ड को बेचने वाला भारतीय स्टेट बैंक खरीददार की पहचान जानता है, इसलिए सत्ता में सरकार आसानी से यह पता लगा सकती है कि बॉण्ड किसने और किसके लिए खरीदा है। इससे सरकार बॉण्ड धारक को परेशान कर सकती है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के साथ-साथ विधि आयोग भी समय-समय पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन की सिफारिश करता रहा है। बावजूद इसके पारदर्शिता के नाम पर सरकार का हर प्रयास अधूरा ही साबित हुआ है। विदित हो कि पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एस. कृष्णमूर्ति, एस.वाई. कुरैशी और ओ.पी. रावत ने भी चुनावी बॉण्ड को लोकतंत्र के लिये अहितकारी माना है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इन खामियों को दूर करते हुए एक नई बॉण्ड प्रणाली को लाया जाए। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों पर ध्यान दिया जा सकता है-

- राष्ट्रीय चुनावी कोष बनाया जाए जिसमें सभी दानदाता योगदान दे सकें।
- कोष में जमा राशि को मिलने वाले वोटों के अनुपात में राजनीतिक दलों के बीच आवंटित किया जाना चाहिए।
- इससे न केवल दानदाताओं की पहचान सुरक्षित होगी बल्कि राजनीतिक चंदे से काला धन भी खत्म हो जायेगा।
- सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आधी-अधूरी पारदर्शिता के बजाय पूर्ण पारदर्शिता वाली किसी प्रक्रिया पर कार्य करे ताकि चुनावी चंदे को भ्रष्टाचार और कालाधन से मुक्त किया जा सके।
- चुनावी बॉण्ड में सुधार करते हुए गोपनीयता के कायदे-कानून में सुधार करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है और उसको दान देने वाले लोग कौन हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनावी बॉण्ड संबंधित जानकारी न केवल चुनाव आयोग तक सीमित रहे, अपितु सामान्य मतदाताओं को भी पता हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. ग्रामीण भारत में गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी कम करने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है। इस संदर्भ में भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इससे पूर्व विश्व आर्थिक मंच ने भी गरीबी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके मुताबिक भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल रहेगा। इस लेख में ग्रामीण गरीबी एवं उससे निपटने के लिए किये जा रहे उपायों पर चर्चा करेंगे।

परिचय

भारत की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करता है, जिसमें अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के सात राज्यों- छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

में एक बड़ी जनसंख्या गरीब है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में गरीबी दूर करने की योजनाओं और ग्रामीणों के शहरी इलाकों में प्रवास के कारण गरीबों की संख्या में कमी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स-2018 के मुताबिक, 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह आकलन सिर्फ आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की खराब गुणवत्ता और हिंसा का खतरा जैसे कई संकेतकों के आधार पर किया गया।

वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ब्रुकिंग्स के 'फ्यूचर डैवेलपमेंट' ब्लॉग में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि हर मिनट 44 भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकलते जा रहे हैं, जो दुनिया में गरीबी घटने की सबसे तेज रफ्तार को इंगित करती है। दरअसल इसकी वजह बीते पांच सालों में केंद्र सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए एक के बाद एक चलाई गई कई योजनाएँ जैसे जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि हैं। इसे एक अच्छे संकेत के रूप देखा जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो यह बताता है कि जहाँ गरीबी में कमी आयी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी की दर अभी भी धीमी ही है। शहरी क्षेत्रों की 13.7% के मुकाबले ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी आज भी गरीब है।

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के मुताबिक भारत में महज एक फीसदी लोगों की आय साल 1980 से 2019 के बीच छह फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो पायी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गरीबी कम होने के साथ-साथ आर्थिक असमानता में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

ग्रामीण गरीबी के कारण

ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी कारकों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- ग्रामीण भारत के अधिकांश किसान अभी भी कृषि के प्राचीन तरीकों पर ही निर्भर हैं जिसके कारण वार्षिक उत्पादन अकसर बहुत कम होता है।
- खराब आपूर्ति शृंखला और प्रबंधन की कमी के कारण भी किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि किसानों की कड़ी मेहनत का अधिकतम लाभ आपूर्ति शृंखला के शीर्ष पर रहने वाले लोग उठाते हैं।
- बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाएँ भी उनकी फसल, मवेशियों और भूमि को क्षतिग्रस्त करती हैं। इन कारकों के कारण ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, उदाहरण के लिए हाल ही के चक्रवात फैनी ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अत्यधिक क्षति पहुँचाई थी और महाराष्ट्र में असमय बारिश से प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई।
- कई ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इनमें स्वच्छता, बुनियादी ढाँचा, संचार और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव है।
- कई व्यक्तिगत कारक भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को जन्म देते हैं। इन कारकों में से एक बीमारी है। गरीबी के कारण कई परिवारों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है जिसके कारण उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे वे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं।
- आलस्य और काम करने की इच्छा न होना भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग काम करना नहीं चाहते हैं।
- इसके अलावा शराब पीने की लत, नशीली दवाओं और अन्य सामाजिक बुराइयों की लत ग्रामीण गरीबी को बढ़ाती है। ये कारक पूरे परिवार को गरीब बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का ज्ञान नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण विकास योजनाओं का सही कार्यान्वियन न होने से भी बेरोजगारी बढ़ रही है।
- पर्यावरण का क्षरण एक महत्वपूर्ण कारक है दरअसल अधिकांश ग्रामीण भूमि, वन और पशुओं जैसे संसाधनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर होते हैं। अतः पर्यावरण का क्षरण गरीबी का कारण बनता है।
- इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच, भ्रष्टाचार/सूदखोरी का बढ़ता प्रकोप, गैर-कृषि रोजगार की कमी आदि ग्रामीण गरीबी को बढ़ाते हैं।

भारत में गरीबी कम करने के प्रयास

पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पहलों को समेकित करने का प्रयास किया गया है ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों की दशा में सही अर्थों में बदलाव लाकर खुशहाली लाई जा सके। इन प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफी बढ़ोत्तरी की गई है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में वार्षिक खर्च 2012-13 के खर्च से दो गुना से अधिक था। यह बात ध्यान देने की है कि इस अवधि के दौरान गरीबी की समस्या के समाधान के लिए चार अतिरिक्त स्रोत पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत हिमालयी राज्यों के लिए साझेदारी का अनुपात 90:10 और गैर-हिमालयी राज्यों के लिए 60:40 हो गया। वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिनमें पहले केंद्र और राज्य की साझेदारी 75:25 की थी, वही साझेदारी 60:40 हो जाने पर राज्य सरकारों के तीन साल में 45,000 करोड़ रुपये के खर्च पर केंद्र ने 8,975 करोड़ रुपये का व्यय किया। ऐसी ही बढ़ोत्तरी 75:25 की साझेदारी से 60:40 के तहत लाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि में भी किया गया।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को इस अवधि के दौरान धनराशि भी प्राप्त हुई है। महिला स्वयं सहायता समूहों ने पिछले पांच वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक ऋण की बकाया राशि, जो 2013-14 में 31,865 करोड़ रुपये थी, 2017-18 में 69,733 करोड़ रुपये हो गई है।
- इसके अलावा, ग्रामीण गरीबी कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देने, कृषि मंत्रालय और गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे व आजीविका के अन्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का पूर्ण अंतरण जैसे कदम भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस धनराशि का

काफी बड़ा हिस्सा रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर खर्च हुआ है।

- ग्रामीण विकास विभाग ने इस दौरान गरीब परिवारों की आजीविका के विकास और उनमें विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जुलाई 2015 में जारी सामाजिक-आर्थिक जाति गणना में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए प्रमाण पर आधारित मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति गणना के निर्धनता के मानदंडों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन और हाल में आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम में लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि विकास के फायदे समाज के सबसे निर्धन लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्यों के श्रमिक बजट को अंतिम रूप देने में सामाजिक, आर्थिक जाति गणना के उपयोग और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले।
- गौरतलब है कि ग्रामीण विकास के तमाम कार्यक्रमों का आजीविका विकास और आजीविका में विविधता लाने के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा ने टिकाऊ परिसंपत्तियों और जल-संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है।
- सब्सिडी कार्यक्रमों को पशुधन संसाधन और कृषि कार्यक्रमों से जोड़े जाने से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है।
- ज्ञातव्य है कि सड़क निर्माण कार्यक्रम में जोरदार बढ़ोतरी से भी रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों में बढ़ोतरी हुई है।
- मनरेगा को कारगर तरीके से लागू करने में केंद्र सरकार की वचनबद्धता इसके लिए बजट आवंटन में लगातार बढ़ोतरी में परिलक्षित होती है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटन 55,167 करोड़ रुपये रहा जो इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद से सबसे अधिक है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विस्तार करके 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल उपलब्ध कराने से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है।
- इस अवधि में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में मामूली बढ़ोतरी होने से कृषि मजदूरों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी मामूली तौर पर बढ़ा है, क्योंकि कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने में जिन चीजों और सेवाओं को शामिल किया जाता है उनमें काफी बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों का होता है।

चुनौतियाँ

इन आंकड़ों और उपायों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब उपायों से आमदनी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आजीविका में विविधता आई है और उसका विकास हुआ है। बावजूद इसके अभी भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जो गरीबी दूर करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इन चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- गाँव वर्तमान समय में भी सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के लगभग हर पहलू पर पीछे दिखाई देते हैं।
- भारत ने समृद्ध शहरों और गरीब गाँवों की अर्थव्यवस्था बनाई है जिससे शहरी क्षेत्रों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आ रही है।
- स्वयं सहायता समूहों की प्रगति काफी सराहनीय रही है परंतु देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का असमान वितरण या असंतुलित विकास है।
- देश में बैंकों के ऋण कार्यक्रमों के साथ सहयोजित किये गए कुल स्वयं सहायता समूहों में से लगभग 60 प्रतिशत समूह देश के दक्षिणी राज्यों में है। इस प्रकार जिन राज्यों में गरीबों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है वहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या बहुत कम है।
- अकसर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के खिलाफ रिश्वतखोरी तथा समय पर ऋण न चुकाने पर उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार, मारपीट आदि किये जाने की शिकायतें आती हैं। इसके अलावा गरीब व्यक्ति गाँव से पलायन कर रहे हैं।
- एक अन्य चुनौती जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित है, विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार, विश्व 2030 तक गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अकेले आर्थिक विकास से गरीबी उन्मूलन संभव नहीं हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि की प्रवृत्ति बढ़ी है नतीजतन सरकारी प्रयास विफल हो रहे हैं, ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि विकास के सभी प्रयासों में पर्यावरण के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- मृदा की कम उर्वरक क्षमता के कारण कृषि पैदावार कम हो रही है नतीजतन ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है।
- भूमि का निम्न जल स्तर भी एक जटिल समस्या के रूप में उभरा है इससे जहाँ कृषि कार्यों में कठिनाईयाँ पैदा हो रही हैं वहीं जल संकट की स्थिति भी आन पड़ी है।
- मुद्रास्फीति आज एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रही है जो ग्रामीण गरीबी दूर करने के सरकारी प्रयासों के मार्ग में कठिनाईयाँ पैदा कर रही हैं। दरअसल महँगाई अधिक होने से कालाबाजारी जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं नतीजतन सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी व सहायता गरीबों के रोजमर्रा की आवश्यकता पूरा करने में मददगार साबित नहीं हो पा रही है।
- मनरेगा कार्यक्रम में मजदूरी लागत का बढ़ना भी आने वाले समय में चुनौती पेश कर सकती है। दरअसल ऐसा होने से कृषक किसानी को छोड़ मनरेगा कार्यक्रम पर आश्रित हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ देश की कृषि उत्पादकता घटेगी बल्कि गरीबी व महँगाई आदि समस्याएँ पैदा होंगी।

- सरकारी प्रयासों में एक बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की भी है जो अभी तक बनी हुई है। माना जाता है कि इस भ्रष्टाचार के चलते योजना का लाभ सही व्यक्ति तक, सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता।
- भूमि और दूसरी संपत्तियों का असमान वितरण एक अन्य समस्या है।
- ग्रामीण गरीबों की सक्रिय भागीदारी के बिना कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन संभव नहीं हो सकता है।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण गरीबी एक बड़ी समस्या है जिसे खत्म करने के लिये सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की बढ़ती खाई को पाटने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- ग्रामीण क्षेत्रों में यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, यातायात सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कृषि समस्याओं को हल करने के लिये किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- गुणात्मक शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रोजगार के अवसर, महिलाओं की भागीदारी, बुनियादी ढाँचा तथा सार्वजनिक निवेश पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाया जाना चाहिए। आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होती है गरीबी का स्तर उतना ही कम होता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

4. भारत में बाल अधिकार : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (World Children's Day) प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गयी थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (International Children's Day) सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी.के कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (General Assembly) ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय (Convention) को अपनाया। यह अभिसमय सितम्बर, 1990 में प्रभाव में आया। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। केवल अमेरिका ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानवाधिकार हैं। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं- जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में गैर-कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार।

इस अभिसमय के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिये सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है।

इस अभिसमय में दस स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह समिति अभिसमय में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गयी रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिये अधिकृत है। समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों का किस तरह पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के दो साल के भीतर और उसके बाद हर पाँच साल पर प्रत्येक सदस्य देश एक रिपोर्ट साझा करता है जिसके बाद चिह्नित देश को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में संधि के जरिए स्वस्थ जीवन और टिकाऊ आजीविका की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। लेकिन 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे और युवा अब भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, 65 करोड़ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है और हर चार में से एक बच्चा ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर हैं जहाँ वर्ष 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे। ऐसे में सदस्य देशों से अपील की गई है कि नई चुनौतियों को देखते हुए सदस्य देशों को अपने संकल्पों और मजबूत बनाने होंगे। अमेरिका को छोड़कर अब तक 196 देश इस संधि पर मुहर लगा चुके हैं हालांकि उसने भी इसे स्वीकृति देने की मंशा जाहिर की है। बाल अधिकार संधि के पारित होने के बाद, पहले से कहीं ज्यादा बच्चों को जरूरी संरक्षण और सहारा मिल रहा है और पाँच से कम उम्र के बच्चों की मौतों

के मामले में पचास फीसदी की कमी आई है। साथ ही कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आधुनिक दुनिया में बच्चों और युवाओं को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अनुरूप कार्रवाई में बदलाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत में बाल अधिकार

भारत प्रारम्भिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। साल 1992 में यूएनसीआरसी (United nations Convention on the rights of the Child) को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफी फेरबदल किया। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं-

- **अनुच्छेद 21-क:** 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(ङ):** आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या समता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(च):** बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ मुहैया कराना और शोषण से बचाना।

इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है।

भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएँ

- नीति आयोग के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब तीन लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है।
- भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं, जहां हर 10 में से चार बच्चे कुपोषित हैं। देश में छ: साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं।
- शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर सौ बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर हैं।
- विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं।
- बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है।
- भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% हैं। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं।
- बालश्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएँ।
- पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद-फरोख्त एक गंभीर चुनौती है।
- घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है।

बाल विकास के लिए योजनाएँ

आंगनवाड़ी सेवा: इस योजना का उद्देश्य छ: साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत छ: साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताओं को लाभार्थी माना गया है।

किशोरी योजना: इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिशु गृह योजना: इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित होग। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है।

बाल संरक्षण सेवा: इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिये सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना है। सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना, इस उद्देश्य में शामिल हैं। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिये एक मंच विकसित करना व बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बाल संरक्षण कानून

- **बाल विवाह (निषेध) अधिनियम, 2006**
  - 1 नवंबर 2007 से लागू।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है।
  - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1929 के स्थान पर लाया गया था।
- **बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016**
  - बालश्रम अधिनियम, 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया।
  - 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गये क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया।
  - बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20000 से 50000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह से 3 साल तक कैद या फिर दोनों का प्रावधान है।
  - दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे साल भर से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।
- **शिक्षा का अधिकार**
  - 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है।
  - इसके तहत 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- **पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012**
  - यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है।
  - यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गम्भीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।
  - देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता की मौजूदगी में होती है।
  - इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है।
  - इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक के जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है।
  - इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्रकैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है।
  - कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015**
  - जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया।
  - जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केन्द्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा।
  - 16-18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता।
  - 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुदकमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**
  - बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है।

आगे की राह

- बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख हो।
- शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो।
- शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अत: बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हों। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय।
- बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना चाहिए।
- बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
- कानूनों एवं योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए।
- बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। यानी अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

5. डिजिटल डेमोक्रेसी : उदार लोकतंत्र के लिए खतरा

सन्दर्भ

हाल के कुछ वर्षों में इंटरनेट ने भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। भारत सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। गौरतलब है कि जब भारत के अंतिम व्यक्ति के हाथों तक मोबाइल होगा, तब भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति के रूप में उभरेगा।

डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है

डिजिटल लोकतंत्र (इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन), को ई-डेमोक्रेसी या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21 वीं सदी की सूचना तंत्र और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना क्रांति की आवश्यकता है। डिजिटल डेमोक्रेसी एवं इंटरनेट डेमोक्रेसी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जनता अपना विचार सरकार तक और सरकार अपने कार्यक्रमों को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचा सकती है।

ई-डेमोक्रेसी का कार्य सामाजिक निर्माण अथवा विकास में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी को शामिल करना है, इसमें विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूहों और सामाजिक नेटवर्क की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है।

निजता और सुरक्षा का सवाल

इंटरनेट तक पहुँच के अलावा ऑनलाइन दुनिया में पहचान उजागर किए बिना अपनी बात कह पाना भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों की निजता को बनाए रखता है। साथ ही ये उन्हें बोलने की पूरी आजादी देता है। विश्व स्तर पर सभी देश ऐसे उपाय अपना रहे हैं जिनसे इंटरनेट की दुनिया में लोगों का अजनबी रहकर अपने विचार रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए बहुत सी सरकारें, एनक्रिप्शन पर पाबंदी लगा रही हैं। यानी लोग गुप्त संदेशों का आदान-प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बिना पहचान उजागर किए इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नामक कानून लागू किया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान में एनक्रिप्शन की मदद लेना गैर कानूनी बना दिया गया है। कई देशों ने ऑनलाइन माध्यमों से लाइसेंस लेने और रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। उदाहरणस्वरूप वियतनाम, जहाँ पर 2015 में लॉ ऑन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को लागू किया गया था। इस कानून के तहत आम लोगों को एनक्रिप्शन की तकनीक मुहैया कराने वाली कंपनियों को कारोबार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी तरह अफ्रीकी देश मलावी में एनक्रिप्शन सेवाएँ देने वाली कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा इन कंपनियों को एनक्रिप्शन तकनीक के बारे में भी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश एनक्रिप्शन की तकनीक को ही कमजोर करने में जुटे हैं, ताकि वो पिछले दरवाजे से इन गुप्त संदेशों को पढ़ सकें। कई देशों ने ऑनलाइन डेटा को अपने यहाँ जमा करने को जरूरी बना दिया है। इसी तरह एनक्रिप्शन को भी स्थानीय स्तर पर ही जमा करना जरूरी कर दिया गया है। आज एनक्रिप्शन को लेकर निजता और सुरक्षा के बीच जो बहस चल रही है, वो अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। एनक्रिप्शन को लेकर जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देना होगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता का संकट

वैश्विक स्तर पर सीमाओं के आर-पार ऐसे प्रभावित करने वाले अभियान सरकारें और गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है और इन पर भरोसा भी कमजोर हो रहा है। सरकार के खर्चे पर प्रभावित करने वाले ऐसे अभियानों की मदद से सम्मानित लोगों को बदनाम करने, लोगों की राय प्रभावित करने और सामाजिक राजनीतिक बँटवारे और ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे लोकतांत्रिक परंपराएँ और संस्थाएँ कमजोर हो रही हैं। हाल ही में हुए एक रिसर्च में देखा गया कि 2013 से 2018 के बीच विदेशी माध्यमों से प्रभाव डालने की घटनाएँ 24 देशों में हुईं। इनमें से आधे से ज्यादा अभियानों के पीछे रूस का हाथ पाया गया। रूस का ऑनलाइन प्रचार तंत्र 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान काफी असरदार साबित हुआ था। ये इस बात की मिसाल है कि विदेशी संगठन और सरकार किस तरह लोकतांत्रिक परंपराओं को पटरी से उतार रहे हैं। गौरतलब है कि रूस के अलावा चीन, ईरान और सऊदी अरब की सरकारों ने भी दूसरे देशों में ऐसे ऑनलाइन अभियान चलाए। आज ऐसे अभियानों के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है।

तकनीकी कंपनियों की बढ़ती ताकत

सबसे पहले एक सवाल उठता है कि क्या डिजिटल तकनीक और कॉर्पोरेट एल्गोरिथम (Algorithm) की वजह से आज सत्ता की ताकत, बड़ी तकनीकी कंपनियों के हाथ में जा रही है? लेकिन आज बहुत से देश डिजिटल टूल्स (Tools) का इस्तेमाल करके अपने देश की जनता पर नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी तकनीकी कंपनियों ने तकनीक की मदद से बहुत बड़ा बाजार हथिया लिया है। इससे उनके हाथ में सियासी ताकत भी बहुत आ गई है। आज ये कंपनियाँ सूचना के प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम बन गई हैं। परन्तु समस्या यह है कि इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर जो तथ्य या जानकारियाँ मौजूद हैं, उनकी जवाबदेही इन कंपनियों की होती ही नहीं। तीसरी चुनौती यह है कि संवाद के डिजिटल माध्यमों की जो संरचना है, उसमें किसी खास विचारधारा या संगठन के लोगों का इको-चेम्बर बन जाता है, जो विरोधी पक्ष को परेशान करने के लिए भीड़ के तौर पर काम करता है। इससे सामाजिक दुर्भावना बढ़ रही है। ऐसे डिजिटल गिरोह के सदस्य आपस में मिलकर विपरीत विचारधारा के प्रति सामूहिक हिफाजत की भावना से काम करते हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हालात वही बन जाते हैं, जैसे किसी भेदभाव वाले समाज में अलग-अलग सामुदायिक समूहों के बीच भेद-भाव होता हो। साथ ही आज तकनीकी कंपनियाँ जो एल्गोरिथम

यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार आंकड़ों की बुनियाद पर चुनाव करने की प्रक्रिया अपना रही हैं, उनमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। वो कैसे काम करते हैं, इसका कोई पता नहीं होता और उनके कार्यों के नतीजों के प्रति न इन कंपनियों की कोई जवाबदेही तय है, न ही इन एल्गोरिथम की जिम्मेदारी तय की गई है।

वैश्विक परिदृश्य

आज विश्व में ऐसे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सूचना के प्रसार पर नियंत्रण लगाते जा रहे हैं। ऐसे नियंत्रण कभी तो इंटरनेट पर पाबंदी से, कभी इसकी सेवाओं में बाधाओं से और कई बार वेबसाइट पर पाबंदियों से लागू किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को पहचान छुपाकर अपनी बात कहने से रोका जाता है। डिजिटल कंटेंट को सीमित करने या फिर उस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की कोशिशें भी डिजिटल सूचना के प्रसार पर रोक लगाने के तरीके हैं। अगर हम वास्तव में इंटरनेट की मदद से लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोगों की आजादी का मार्ग खोलना चाहते हैं, तो फिर हमें इसे खुला और स्वतंत्र रखना होगा। लेकिन आज दुनिया में जो हो रहा है, वो इसके विपरीत है। 2018 में 25 देशों में इंटरनेट बंद करने की 196 घटनाएँ हुई थीं। इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2016 में इनकी संख्या 75 थी, जो 2017 में बढ़कर 106 हो गई। 2018 में विभिन्न सरकारों ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के जो कारण बताये, उनमें से ज्यादातर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई, स्कूलों के इम्तिहान और नफरत भरी बातें फैलने से रोकने की कोशिशें अहम थीं। 2018 में जिन देशों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की घटनाएँ सबसे ज्यादा हुईं, उनमें भारत, पाकिस्तान, यमन, इराक और इथियोपिया जैसे देश सबसे आगे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से तमाम तरह के बुरे सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा उस देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट पर रोक लगाने की घटनाओं की वजह से तमाम देशों को करीब तीन अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है।

गौरतलब है कि आज ऑनलाइन दुनिया में गलत सूचनाओं के प्रसार अभियान में अपराधी तत्वों के साथ-साथ सरकार की भी मिलीभगत देखी जा रही है। सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला प्रचार अभियान अकसर बनावटी होता है। इनके प्रसार के लिए अकसर सरकार पैसे देकर ऐसे लेख या सामग्री तैयार कराती हैं, जो उसका प्रचार कर सकें। फ्रीडम हाउस की 2018 की रिपोर्ट में 32 देशों में ऐसे लेखक और टिप्पणीकार देखे गए थे, जो पैसे लेकर सरकार के पक्ष में ऑनलाइन सामग्री और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे थे, ताकि ऑनलाइन संवाद का रुख सरकार के पक्ष में हो। उदाहरणस्वरूप चीन की सरकार ने करीब 20 लाख लोगों को नौकरी पर रखा है, जो पहचान छुपा कर सरकार के पक्ष में ऑनलाइन सामग्री तैयार करते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, चीन के ये सरकारी टिप्पणीकार हर साल करीब 50 करोड़ कमेंट प्रकाशित करते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि सोशल मीडिया पर विवादित विषयों पर हो रही बहस को पटरी से उतार दें, ताकि लोग सरकार के विरुद्ध नाराजगी न जता सकें।

डिजिटल डेमोक्रेसी के लाभ

आम तौर पर ये माना जाता है कि इंटरनेट की मदद से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। उन्हें राजनीतिक भागीदारी ज्यादा मिल रही है। वो सियासी मसलों पर ज्यादा मजबूती से अपनी बात कह पा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज राजनीतिक संवाद में वो लोग भी साझीदार हो रहे हैं, जिनकी अनदेखी होती आई है। आज तमाम लिंक और सर्च इंजन के एल्गोरिथम के पेचीदा संबंध का नतीजा ये होता है कि यहां का संवाद कुछ मजबूत स्रोत के इर्द-गिर्द ही घूमता है। यहाँ संवाद पारंपरिक मीडिया की तरह नहीं होता। इंटरनेट पर लोग ब्लॉग लिखकर अपनी राय तो जाहिर कर सकते हैं। लेकिन, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके विचारों को लोग पढ़ भी रहे हैं।

आज जबकि हर इंसान बड़े पैमाने पर ऑनलाइन डेटा निर्मित कर रहा है, तो मशीन लर्निंग की मदद से ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस किया जा सकता है। यही वजह है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिथम हमारी जिंदगी के सभी हिस्सों में घुसते जा रहे हैं। फैसले लेने की प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और सरकारी क्षेत्र में आज लोगों को वजीफे देने से लेकर आर्थिक मदद देने तक में इनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रक्रिया से लेकर सरकारी मकानों के आवंटन में भी एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में एल्गोरिथम की मदद से बीमा की रकम का निस्तारण हो या फिर कर्ज पाने की क्षमता का आकलन, ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किए जा रहे हैं। ऐसे फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका का असर लोगों की जिंदगी पर ही नहीं पड़ता, बहुत से संगठनों और समुदायों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

डिजिटल डेमोक्रेसी के समक्ष चुनौतियाँ

सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति के हिसाब से विज्ञापन तैयार करना और इनकी नेटवर्क संरचना का जोखिम ये है कि इनसे एक तरह के लोगों के गिरोह तैयार होने का डर होता है। तकनीकी कंपनियाँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वैसी सामग्री को फिल्टर कर देते हैं, जिन्हें कोई शख्स देखना पसंद न करें। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें इस्तेमाल करने वालों को वही दिखता है, जिससे उनके विचार मेल खाते हैं। इससे कोई भी यूजर अपनी पसंद की वेबसाइट पर ज्यादा समय बिताता है। लेकिन इसमें जोखिम यह होता है कि लोगों के बीच ध्रुवीकरण बढ़ता है विशेषकर राजनीतिक मसलों पर। ऐसा होने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक रूप से स्वस्थ बहस नहीं होती। अभी यह साफ नहीं है कि ऑनलाइन दुनिया के ये इको चेम्बर किस तरह से ऑफलाइन समुदायों को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन वर्चुअल इको चेम्बर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने से खिलाफ विचार रखने वालों से संवाद करने के तौर-तरीकों को लेकर जागरूकता फैलानी होगी।

नई-नई तकनीकें सरकार को ऑनलाइन दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के नए तरीके उपलब्ध कराती हैं। इनके साथ-साथ बड़ी तकनीकी कंपनियाँ जैसे-फेसबुक, गूगल, एप्पल और अमेजन भी बाजार और सियासी तौर पर मजबूत हो रही हैं। ऐसे में नियामक संस्थाओं के लिए इन कंपनियों की बढ़ती ताकत पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है, जो एक प्रमुख चुनौती है। बड़ी कंपनियाँ आज सूचना के प्रसार की मुख्य माध्यम बन चुकी हैं। आज दो तिहाई अमेरिकी नागरिक फेसबुक के माध्यम से ही खबरें जान पाते हैं। तकनीकी कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट की जवाबदेही से बचती आई हैं। बड़ी कंपनियों का बिजनेस मॉडल व्यक्तिगत विज्ञापनों पर आधारित है। ये उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वालों के बारे में अथाह जानकारी जुटा कर तैयार किया जाता है। इस बिजनेस मॉडल की मदद से वही कंटेंट किसी यूजर को दिखता है, जो उसकी पसंद का होता है और तेजी से फैलता है। कई बार में ये सामग्री विवादास्पद और नफरत

फैलाने वाली ही नहीं, झूठी और नुकसानदेह भी होती है जिससे आपसी तनाव बढ़ता है। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक 2006 से 2017 के बीच ट्विटर पर पोस्ट की गई 1 लाख 26 हजार खबरों में से जो सही जानकारी थी, उसे 1,500 लोगों तक पहुँचने में गलत खबरों के मुकाबले छह गुना ज्यादा समय लगा। इन अध्ययन के मुताबिक गलत खबरों के प्रसार में मानवीय बर्ताव की भूमिका बढ़ती ही जा रही है।

निष्कर्ष

लोकतंत्र का मतलब केवल हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति या बहुसंख्यकों द्वारा फैसला लेना भर नहीं है। इसका मतलब कानून का शासन होना, लोकतंत्र में हर समुदाय की नुमाइंदगी होना, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में अथाह ताकत होने से रोकना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना भी है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही हमें लोकतंत्र के तमाम पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इन डिजिटल बदलावों के असर पर न सिर्फ निगाह रखनी चाहिए बल्कि उसकी नियमित रूप से समीक्षा भी करनी चाहिए।

गौरतलब है कि किसी भी वेबसाइट पर मौजूद सामग्री के लिए उसी प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाने के लिए जो नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं, एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। फ्रांस ने रेपिड रिस्पॉन्स लॉ बनाया है, जिसमें तकनीकी कंपनियों के लिए कानून और व्यवस्था के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ सहयोग करना जरूरी बना दिया गया है।

इसी तरह जर्मनी का नेटवर्क एनफोर्समेंट लॉ 20 लाख या इससे ज्यादा यूजर्स वाली तकनीकी कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो ऐसे कंटेंट को अपनी वेबसाइट से 24 घंटे के अंदर हटाएँ, जो जर्मनी के कानूनों का उल्लंघन करता हो। इसके अलावा ब्रिटेन का मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ केयर का प्रस्तावित कानून नुकसानदेह कंटेंट होने पर उस कंपनी या प्लेटफॉर्म को ही जिम्मेदार ठहराएगा। मलेशिया समेत कई देशों में फेक न्यूज से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल, विरोधी सुर दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि कोई भी कानून ऑनलाइन माध्यमों में सूचना के अविरल प्रवाह को और बेहतर बनाएं। लेकिन ये कानून निजी स्वतंत्रता का भी संरक्षण करें सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन संचार प्रणाली सुरक्षित हो और वे लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन न करता हो। विदित हो कि आज निजी क्षेत्र और सरकारी काम में भी मशीनों की मदद से फैसले लेने का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।

इसका मतलब यह हुआ कि आज हमारी जिंदगियों, हमें मिलने वाले मौकों और हमारे जोखिमों में एल्गोरिथम की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। ये हमारी जिंदगी को इस तरह प्रभावित कर रहे हैं, जिसे आम जनता समझ नहीं पा रही है। इसीलिए आज एल्गोरिथम को किस आधार पर तैयार किया जा रहा है, वो फैसला किस तरह से लेते हैं, उसमें ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की जरूरत है। इसके लिए हमें ऐसी तकनीकों को और बेहतर तरीके समझाने, फिर उसके सत्यापन और निगरानी करने की जरूरत है। इससे जुड़े कानूनी बदलावों को लेकर सार्वजनिक परिचर्चा को और बढ़ाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

6. रणनीतिक विनिवेश : आर्थिक विकास में कितना सहायक

चर्चा का कारण

हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI), टीएचडीसीएल, नीपको के विनिवेश को मंजूरी दी है। सीसीईए ने इंडियन ऑयल (IOC) समेत कुछ अन्य कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC) में सरकार की 74.23% हिस्सेदारी और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NEEPCO) में 100% हिस्सेदारी एनटीपीसी (NTPC) को बेची जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने चुने गये सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण में तेजी लाने के प्रयासस्वरूप रणनीतिक विनिवेश की नयी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए शीर्ष एजेंसी बनाया गया है।

रणनीतिक विनिवेश क्या है

सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) कहलाती है। कई कंपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है। आम तौर पर इन कंपनियों को सावर्जनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं। समय-समय पर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला लेती रहती है। अकसर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशकों को उस पीएसयू (PSU) में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी (PSU) में अपना मालिकाना हक घटा देती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है।

किसी पीएसयू में विनिवेश प्रक्रिया का एक उद्देश्य उस कंपनी का बेहतर प्रबंधन भी होता है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) की कंपनियां सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखकर काम नहीं करतीं, इसलिए कई बार उनके कामकाज में ज्यादा मुनाफा नहीं होता। किसी पीएसयू में विनिवेश या तो किसी निजी कंपनी के हाथ शेयर बेचकर किया जा सकता है या फिर उनके शेयर आम लोगों को खरीदने के लिए जारी किए जा सकते हैं। कई बार लोग विनिवेश का मतलब किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निजीकरण और विनिवेश में अंतर है। अगर किसी पीएसयू का निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है।

विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, लेकिन पीएसयू में उसका मालिकाना हक बना रहता है।

गौरतलब है कि आम बजट में सरकार ने चालू वित्तवर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये की रकम हासिल करने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि वित्त वर्ष (2019-20) में विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह 2018-19 में विनिवेश के लिए तय 80,000 करोड़ के लक्ष्य से 10,000 करोड़ रुपये ज्यादा था। यहां बता दें कि 2018-19 में सरकार ने विनिवेश से अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था।

पृष्ठभूमि

वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और उसी समय विनिवेश की भी शुरुआत की गयी। उस समय भारत सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का 20 प्रतिशत हिस्सा बेचने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में वर्ष 1993 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49 प्रतिशत के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिये 74 प्रतिशत के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। किन्तु उनकी ये सिफारिशें सरकार ने नहीं मानी। वर्ष 1996 में जी.वी. रामकृष्ण के नेतृत्व में एक गैर-सांविधिक व सलाहकारी प्रकृति का विनिवेश आयोग स्थापित किया गया तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1999 में एक बड़े कदम के रूप में विनिवेश विभाग स्थापित किया गया।

वर्ष 2004 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पुनर्जीवित करने व उन्हें वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की। इसके बाद वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया आयोजित की जाती थी। वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति का आगाज हुआ और विनिवेश के संबंध में सिफारिशी शक्तियाँ नीति आयोग में अधिकृत की गईं। वर्तमान सरकार ने दस साल से रुके हुए विनिवेश कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया है।

क्यों विनिवेश पर जोर दे रही सरकार

केंद्र सरकार विनिवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है। आंकड़े बताते हैं कि देश की जीडीपी की रफ्तार सुस्त है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) समेत अन्य आर्थिक आंकड़े भी निराश करने वाले हैं। इसी तरह, राजकोषीय घाटा कम करने या टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशें भी काम नहीं आ रही हैं।

केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी पर नियंत्रित रखना चाहती है लेकिन फिच सॉल्यूशंस का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.6 फीसदी पर रह सकता है। सरकार ने बीते 20 सितंबर को घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। इस कदम से 2019-20 के दौरान सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है। यही वजह है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है।

चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) में टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब तक 6 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं सरकार ने इस वित्त वर्ष में करीब 13.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 4 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे। जाहिर सी बात है कि यह लक्ष्य आसान नहीं है। इसी तरह जीएसटी कलेक्शन में भी हर महीने कमी आ रही है और यह अब भी सरकार के लक्ष्य से नीचे चल रहा है।

विश्लेषकों की राय

आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक इकाइयों की समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि इनका कामकाज सरकारी ढंग से ही चलता रहता है। कंपनियों के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होता है। निवेशकों की कंपनी के कार्यकलापों पर नजर रहती है। प्रबंधन में गड़बड़ी होने पर शेयर के दाम घटने लगते हैं और सरकार सचेत हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समझौते के अनुरूप कंपनी द्वारा तमाम सूचनाएं सार्वजनिक की जाती हैं। परंतु सार्वजनिक कंपनियों का मूल चरित्र पूर्ववत् बना रहता है। सरकार को चाहिए कि सार्वजनिक इकाइयों की मूल समस्या पर ध्यान दें।

जानकारों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों ने क्षमता हासिल कर ली है, उनसे सरकार को सबक लेना चाहिए। तेल रिफाइनरी, बैंक, इंश्योरेंस, कोयले, तांबे, खनिजों का खनन, चीनी उत्पादन आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सक्षम हैं। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों की इकाइयों का पूर्ण निजीकरण कर दे और मिली रकम का उपयोग नये क्षेत्रों में नयी इकाइयों को स्थापित करने में करें।

गौरतलब है कि भारत में 24 सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू हो रही है ताकि सरकार विनिवेश के अपने एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा कर सके। इससे सरकारी कंपनियों के स्टाफ और कर्मचारियों के समक्ष कई सवाल खड़े हो गए हैं, उन्हें डर है कि सरकारी कंपनियों की मिलकियत निजी कंपनियों के हाथों में जाने के बाद उनकी नौकरियों को गंभीर खतरा पैदा होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में अगर किसी एक सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा एक निजी कंपनी को बेच दिया जाता है तो इससे कंपनी की मिल्कियत और इसका मैनेजमेंट सरकार के पास ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाफ और कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या वर्कफोर्स को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर किसी सरकारी कंपनी को निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को (51 प्रतिशत से अधिक हिस्सा) बेच दिया जाता है तो सरकार इसकी मिल्कियत और मैनेजमेंट खो देती है। ऐसे में निजी कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से वर्कफोर्स को कम कर सकती है या लोगों को नौकरियों से निकाल सकती है।

बेरोजगारी की चिंता

निजीकरण और विनिवेश एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश बेरोजगारी एक बड़े संकट के रूप में मौजूद है। इस साल जारी की गई सरकारी एजेंसी 'पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे' (पीएलएफएस) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में 2017-2018 में बेरोजगार युवा पुरुषों की संख्या 1.82 करोड़ थी जबकि 2.72 करोड़ महिलायें बेरोजगार थीं। 2011 की जनगणना के

अनुसार, भारत में 33.3 करोड़ युवा आबादी थी जिनकी संख्या 2021 में 36.7 करोड़ तक छूने की संभावना है। पीएलएफएस को शहरी क्षेत्रों में हर तीन महीने में रोजगार के आँकड़ें देने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साल में एक बार इसे मापने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। साल 2018 की अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग एक तिहाई रोजगार योग्य युवा आबादी बेरोजगार थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 15-29 वर्ष की आयु के शहरी युवाओं में बेरोजगारी, जो नौकरी की तलाश में हैं, लगातार तीन तिमाहियों से बढ़ रही है और दिसंबर तक बेरोजगारी 23.7% पर थी।

2018 की दिसंबर तिमाही में युवा बेरोजगारी बिहार (40.9%) में सबसे अधिक थी, उसके बाद केरल (37%) और ओडिशा (35.7%), जबकि गुजरात में यह सबसे कम (9.6%) थी। आम चुनावों से पहले बेरोजगारी के सरकरी आंकड़ें लीक हो जाने पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ये आंकड़ें फाइनल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं। इस साल की पहली तिमाही में गिरती आर्थिक विकास दर को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की संख्या गंभीर रूप से बढ़ने की आशंका जताई है।

देश की इंन्फ्रॉस्ट्रक्चर की रीढ़ समझे जानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की हालत पिछले कुछ सालों में लगातार खराब हुई है। ज्यादातर गैर वित्तीय पीएसयू कम मांग या सरकार के विनिवेश कार्यक्रम की वजह से वित्तीय संकट में हैं।

पीएसयू कंपनियों की स्थिति

जानकारों के मुताबिक सरकार पीएसयू के विनिवेश को बढ़ावा दे रही है और बड़े पीएसयू पर घाटे में चल रही अन्य सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी सरकार से खरीदने का दबाव है। इसके साथ ही उच्च लाभांश भुगतान की स्थिति बनी हुई है। उच्च लाभांश भुगतान का अर्थ है कि पीएसयू निवेश के बजाय अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्से शेयर होल्डर में बांट रहे हैं।

पिछले कुट सालों में पीएसयू के पास उपलब्ध नगदी में बड़ी मात्रा में कमी आई है। लाभ में कमी की वजह से पीएसयू अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं या शेयर धारकों से दोबारा खुद ही शेयर खरीद रहे हैं। इन सबकी वजह से पीएसयू का कर्ज लगातार बढ़ रहा है।

पिछले कुछ सालों में देश के सबसे बड़े 10 पीएसयू का कुल कर्ज बढ़कर कुल संपत्ति का 40 फीसदी तक पहुँच गया है। मार्च 2014 के अंत में यह 4,38,000 करोड़ रुपये था जो कि मार्च 2019 में बढ़कर 6,15,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसी समय अवधि में पीएसयू पर शुद्ध कर्ज बढ़कर दोगुना हो गया है। यह पाँच साल की तुलना में 2,65000 करोड़ रुपया से बढ़कर 5,33,000 करोड़ हो गया है। पाँच साल पहले कर्ज 0.47 की तुलना में 0.77 की गति से बढ़ रहा है। ओएनजीसी का सकल कर्ज पिछले कुछ सालों में दोगुना से अधिक बढ़ा है। इसका सकल कर्ज मार्च 2014 में 49,000 करोड़ रुपया से बढ़कर मार्च 2019 में 1,07000 करोड़ रुपया हो गया है।

एचपीसीएल में विनिवेश के बाद ओएनजीसी पर 28,191 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज हो गया है। यह ओएनजीसी के कुल कर्ज का 26 फीसदी है। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक ओएनजीसी की नगदी और उसके समकक्ष की राशि में 21 फीसदी की कमी आने के बाद यह 12, 893 करोड़ रुपये रह गया है।

पिछले कुछ सालों में ओएनजीसी का सकल कर्ज चार गुणा बढ़कर 24,000 करोड़ रुपया से 95,000 रुपया हो गया है। ओएनजीसी के संकट में आने की मुख्य वजह एचपीसीएल को सरकार से खरीदना रहा है। एचपीसीएल में 51.1 फीसदी की हिस्सेदारी के लिए ओएनजीसी को कर्ज चुकाने के लिए 24,991 करोड़ रुपया और अन्य मद में 11,924 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। जानकारों के मुताबिक ओएनजीसी का कारोबार बड़ा है जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल है लेकिन एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की हालात ज्यादा खराब हो चली है। इसके अलावा भेल और सेल की रेवेन्यू और लाभ में कमी की वजह से बाजार में उसकी उपस्थिति घटी है। लगातार चार साल से भेल का कारोबार एक लाख करोड़ रुपये पर ठहरा हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी की मांग में 70 फीसदी तक कमी आई है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में अन्य पीएसयू के शुद्ध कर्ज (Net Debt) में तेजी से वृद्धि हुई है।

पिछले कुछ सालों में एनटीपीसी का शुद्ध कर्ज 160 फीसदी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शुद्ध कर्ज 100.4 फीसदी, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 80.2 फीसदी, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का शुद्ध कर्ज 52.5 फीसदी बढ़ा है।

आगे की राह

बढ़ती हुई आर्थिक सुस्ती को रोकने और राजकोषीय घाटे की चुनौती के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विनिवेश का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब वह चुनिंदा सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करेगी। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। हालांकि विगत अक्तूबर तक विनिवेश के तहत उसे महज 17,400 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह उम्मीद करनी चाहिए कि पाँच बड़े सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश कर वह अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य पूरे कर लेगी।

विनिवेश के जरिये सरकार घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है, ताकि उन उपक्रमों का घाटा कम कर उन्हें फायदे में लाया जा सके। मौजूदा विनिवेश नीति के अनुसार सरकार इस फंड की रकम से लगभग 75 फीसदी का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र और विकास के कामों में करती है। मौजूदा आर्थिक सुस्ती ने जिस तरह देश का राजस्व गणित बिगाड़ा है, उसके कारण सरकार ने विनिवेश का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। इस समय राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण भी विनिवेश महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल सरकार ने इस वित्त वर्ष में कर संग्रह का लक्ष्य 24.6 लाख करोड़ रुपये रखा है, लेकिन उसमें दो लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है। ऐसे में, विनिवेश के बड़े कदम से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर्जमुक्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। इससे राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी तक सीमित रखा जा सकेगा। ऐसा होने पर वित्तीय स्थिरता दिखाई देगी, आर्थिक सुस्ती नियंत्रित होगी, अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी, देश में विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आगामी 31 मार्च तक विनिवेश के 1.05 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को विनिवेश लक्ष्य और बेहतर मूल्य हासिल करने के बीच उपयुक्त संतुलन बनाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

7. भारत के जनांकिकीय श्रम बल लाभांश में वृद्धि : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आँकड़ों के आधार पर श्रम बल विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 2023 तक भारत की जनांकिकीय श्रमबल लाभांश में वृद्धि होगी।

परिचय

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत, वित्त मन्त्रालय के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से किया गया है। इस निगम में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का 49 प्रतिशत का हिस्सा है तथा 51 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में विकास के साथ-साथ 150 करोड़ लोगों को 2022 तक अनुपूरक कौशल विकास सुविधा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के आँकड़े

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा 2023 तक कुल 5.9 करोड़ श्रम बल की उत्पत्ति का आकलन किया गया है जो कि 15-30 वर्ष के बीच की होगी।
- 15-59 वर्ष के बीच के कुल कार्यबल 2023 तक लगभग 7 करोड़ होंगे।
- अगले पांच वर्षों में 15-30 वर्ष के बीच महिला श्रमबल में प्रत्येक 5 में से 1 महिला के प्रवेश का अनुमान है।
- अपेक्षित श्रमबल के क्षेत्र में, वर्ष 2019 में 84.2 (77.9%) पुरुष, 23.77 (22%), महिला तथा कुल 107.97 के प्रवेश का अनुमान है।
- इसी प्रकार 2020 में 95.71 (85.2%) पुरुष, 16.56 (14.7%) महिला एवं कुल 112.27 श्रमबल के प्रवेश का अनुमान है।
- वर्ष 2023 में 101.25 (78%) पुरुष, 28.55 (21.9%) महिला एवं कुल 129.8 श्रमबल के प्रवेश का अनुमान है।
- समग्र रूप से देखें तो 2023 तक 471.95 (79.8%) पुरुष, 118.76 (20.1%) महिला, कुल 590.71 लोगों के श्रमबल के रूप में तैयार होने का अनुमान लगाया गया है।
- एनएसडीसी द्वारा 2019 से 2023 तक महिला वर्ग में श्रमबल क्रमशः 23.77, 16.56, 28.47, 21.41, 28.55 तथा कुल 118.76 लाख के शामिल होने की संभावना है। समग्र रूप से कुल श्रमबल में इनकी 20.1% तक की हिस्सेदारी होगी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़े

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2017 से 2018 अवधि के दौरान का श्रमबल पर आँकड़ा जारी किया गया था। यह आँकड़ा पीएलएफएस आधार पर इकट्ठा किया गया था जिसके अनुसार कुछ मुख्य बातें निम्नवत हैं-

- 2017-18 के दौरान 52.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार स्वनियोजित, 25 प्रतिशत आकस्मिक मजदूरी व 12.7 प्रतिशत मजदूरी/वेतन पर निर्भर थे।
- इसी तरह से नगरों में उक्त अवधि के दौरान 32.4 प्रतिशत स्वनियोजित, 11.8 प्रतिशत मजदूरी व 41.4 प्रतिशत नियमित मजदूरी/वेतन पर निर्भर थे।
- ग्रामीण क्षेत्र में 54.9 प्रतिशत पुरुष, 18.2 प्रतिशत महिला तथा नगरों में 57 प्रतिशत पुरुष व 15.9 प्रतिशत महिला सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमबल में थे।
- भारत के 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में एलएफसीआर श्रेणी में 49.8 प्रतिशत लोग हैं, जिनमें 50.7 प्रतिशत ग्रामीण तथा 47.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्र से हैं।
- कामगार जनसंख्या अनुपात की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर 34.7 प्रतिशत जनसंख्या है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र के 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के 33.9 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा पीएलएफएस का उपयोग पहली बार इस अवधि में किया गया है। पीएलएफएस अर्थात् पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे जिनमें कुछ संकेतकों के आधार पर कार्यबल की गणना की गई है जो निम्न हैं-

- **श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** कुल आबादी में श्रमबल में व्यक्तियों की संख्या (जो कहीं कार्यरत हैं, काम की तलाश में है या काम के लिये उपलब्ध हैं), को परिभाषित किया गया।
- **कामगार संख्याः** कुल आबादी में रोजगार प्राप्त लोग की संख्या।
- **आनुपातिक रोजगारः** कुल आबादी में बेरोजगार प्रतिशत के रूप में।
- **बेरोजगारी दर (यूआर):** श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
- **कार्यकलाप की स्थिति (सामान्य स्थिति):** 365 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति के सामान्य कार्यकलाप का निर्धारण।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा पहली बार इस अवधि के दौरान पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का इस्तेमाल किया गया था जिनके तहत पारंपरिक रूप से एकत्रित किये गए आँकड़ों का संग्रहण कम्प्यूटर आधारित किया जाने लगा। विश्व बैंक की सहायता से टैबलेट के द्वारा अन्तर्निहित डेटा सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना लिया गया।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन द्वारा पिछले वर्ष 2017-18 की अवधि के लिये भारतीय श्रमबल जनांकिकीय आँकड़े भी प्रस्तुत किये गए थे। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 7.2%, 2019 के लिए 7.7 प्रतिशत आंकी गई थी।

भारत के श्रमबल में महिलाओं का अनुपात काफी कम है। ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एशियन दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय महिला श्रमबल अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है। सितम्बर 2019 तक विश्व बैंक के अनुसार कुल श्रमबल 519, 469.299 मिलियन है। वर्ष 2018 तक भारत की कुल जनसंख्या 1.353 बिलियन के करीब थी। विश्व बैंक के आँकड़ों पर गौर करें तो; यह तो स्पष्ट है कि भारत वर्तमान में श्रमबल लाभांश में है और भविष्य में इस श्रमबल के लाभ में रहने की उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रमबल

उक्त श्रमबल जिसके बढ़ने की उम्मीद राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। क्या इसका लाभ भारत पूरी तरह से उठा पाएगा? यह एक गंभीर विचारणीय विषय है। वर्तमान में तमाम विश्वस्तरीय संस्थाएं भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लगातार गिरने की संभावनाएं जता रही हैं। आईएमएफ द्वारा संशोधित आँकड़ों के अनुसार, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की दर 7 प्रतिशत

से 6 प्रतिशत तक हो सकती है तथा अगले वित्त वर्ष 2020-21 का अनुमान 6.9% तथा 2021-22 के लिये 7.2% का अनुमान लगाया गया है। वहीं विश्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार भी 2020-21 के लिये 6.9% तथा 2021-22 के लिये 7.2% तक का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। श्रमबल का वास्तविक विकास तो तभी हो सकता है जब उन्हें उसी अनुपात में रोजगार भी प्रदान किया जाये। यदि रोजगार निर्माण नहीं है तो भारत को वास्तविक रूप से 'श्रमबल लाभांश' का फायदा नहीं मिल पाएगा जो यह दर्शाता है कि सरकार के पास नकदी की कमी है। हमारी अर्थव्यवस्था की स्थितियां और बढ़ते श्रमबल का आनुपातिक सहसंबंध अनुकूल नहीं दिखलाई पड़ रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिये गए। वैश्विक स्तर की अन्य संस्थाएँ उदाहरण के रूप में फिच रेटिंग ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टैंण्ड्र्डस एण्ड पूअर्स आदि सभी ने अपने आकलन में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के गिरने के आँकड़े ही प्रस्तुत किये हैं। भारत के गिरते सकल घरेलू उत्पाद का यह अर्थ है कि इससे राष्ट्रीय आय में भी गिरावट होगी, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर श्रमबल पर पड़ेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में 18.9 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की श्रेणी में 15 वर्ष से अधिक के लोग शामिल हैं जो कार्य के लिये उपलब्ध हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार की रिक्तता कार्यशील लोगों की क्रय शक्ति क्षमता को घटायेगी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पूंजी निर्माण पर पड़ेगा। इसका सर्वाधिक नुकसान मध्यम वर्ग, बच्चे, महिला व निर्भर लोगों को उठाना होगा, जो इस श्रमबल के ऊपर अपने जीवनयापन के लिये निर्भर हैं।

एक मुख्य बात यह है कि भारत में जिन श्रमबल के बढ़ने की उम्मीद से आर्थिक वृद्धि को देखा जा रहा है। क्या वास्तव में उस वृद्धि को उसी प्रारूप में सतत रखा जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारतीय श्रमबल में कौशलयुक्त श्रमबल की बहुत कमी है। इसका कारण देश में कौशलयुक्त संस्थान की संख्या में कमी है। एक दूसरी बड़ी समस्या यह भी है कि जो संस्थान मौजूद भी हैं, उनमें गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था की कमी, बुनियादी संसाधनों की कमी, प्रशिक्षकों में व्यवसायिक प्रवृत्ति की कमी आदि त्रुटियां देखी जाती हैं। अतएव जो युवा इन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर निकलते हैं, उन्हें भी भटकना पड़ता है।

श्रमबल में भारतीय महिला भागीदारिता की कमी एक अलग चिंता का विषय बनी हुई है। वैश्विक रूप से कुल श्रमबल भागीदारी में महिलाओं का अंश लगभग 40 प्रतिशत तक है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक महिला श्रमबल भागीदारिता समग्र रूप से 46.8 प्रतिशत के लगभग है जो लगातार गिरती जा रही है। इस संदर्भ में पाँच देश जो महिला श्रमबल के मामले में सर्वाधिक अच्छी स्थिति में हैं, वे- जिम्बाब्वे, मलावी, गाम्बिया, लाइबेरिया तथा तंजानिया हैं। भारत इस मामले में निम्न श्रेणी प्राप्तकर्ता देशों में से है। यदि महिला श्रमबल को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में महिला श्रमबल की कम भागीदारिता का कारण, कानून का ठीक प्रकार से लागू न होना, समाज में लैंगिक असमानता, महिला वर्ग में कुशलता की कमी, समान वेतन का प्राप्त न होना इत्यादि हैं। ये सभी समस्याएँ महिला श्रमबल को बराबरी पर लाने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही हैं जिसका भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि भारत श्रमिक सघन व सेवा क्षेत्र में बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। सेवा क्षेत्र में कई स्थान हैं, जहां पर महिला कार्यक्षमता उत्पादन को बढ़ा सकती हैं जिनमें शिक्षा व स्वास्थ्य मुख्य हैं।

अतएव यदि भारत अपने श्रमबल लाभांश का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता तो वह उत्पादन स्तर को नहीं बढ़ा पाएेगा जो कि श्रमबल एवं अर्थव्यवस्था के विरोधाभासी सहसंबंध को स्थापित करेगी, इतना ही नहीं घरेलू स्तर पर इनके रोजगार न प्राप्त करने से मांग में कमी की समस्या का भी सामना भारत को करना पड़ सकता है क्योंकि भारत का मध्यम आयु वर्ग देश के बाजार का एक बड़ा हिस्सा है।

उक्त कारणों से यह नि:सन्देह कहा जा सकता है कि यदि इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के यथोचित उपाय नहीं किये गए, तो भारत की अर्थव्यवस्था अपने मानव संसाधन को भुना नहीं पायेगी।

भारतीय श्रमबल की चुनौतियाँ

अधिशेष श्रमबल: भारत में जिस स्तर से अधिशेष श्रमबल है उस हिसाब से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों ही क्षेत्रों में मांग की कमी देखी जा रही है। तकनीकी विकास के कारण उद्योगों में मशीनीकरण ने इनकी मांग को कम कर दिया है। वहीं कृषि क्षेत्र में भूमि की उर्वरा क्षमता सिकुड़ने व उत्पादन के घटने व वहां पर भी तकनीकी सुविधा बढ़ने के कारण इनकी मांग में कमी हो रही है। लिहाज अधिशेष की खपत न हो पाना बड़ी चुनौती है।

अकुशल श्रमबल: भारत के श्रमबल में अकुशलता की समस्या भी है। इनकी संख्या और उपयोगिता का अनुपात काफी निम्न है। अतएव ये अपने लिये स्वनियोजित रोजगार नहीं बना पा रहे। जिस कारण देश में बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, साथ ही भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को भी नहीं बढ़ा पा रहा है।

कुशल श्रमिकों की खपत में कमी: भारतीय युवा आबादी की खपत में भी कमी देखी जा रही है। यहां पर तकनीकी रूप से पढ़े लिखे लोगों की पर्याप्त मात्रा है, जो प्रत्येक वर्ष अच्छे संस्थानों से प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्राप्त कर निकल रहे हैं। परन्तु द्वितीयक क्षेत्र में मांग की कमी तथा वेतनमान का अनुकूल न होना इनके समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, जिससे भारतीय श्रमबल की उत्पादकता में कमी दिखलाई पड़ती है।

श्रमबल में खामियाँ: भारतीय श्रमबल का बहुत सारा हिस्सा कई खामियों से जकड़ा हुआ है। उन खामियों में पर्याप्त जानकारी का अभाव, श्रमबल का उचित अपयोग, एजेंसियों की कमी, कई अनुचित प्रथाओं का प्रचलन, उचित योजना का अभाव आदि है, जिस कारण श्रमबल के सामर्थ्य व प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

कार्य संस्कृति: भारतीय श्रमबल की एक बड़ी चुनौती उन्हें उचित माहौल का न मिलना भी है। अकसर वे जहां कार्य करते हैं या फिर जिस जगह कार्य करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें अनुकूल एवं स्वस्थ कार्यशैली नहीं मिल पाती है। ऐसे में उच्च क्षमतायुक्त व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है। कुशल कर्मचारी से जुड़े संस्थान/व्यक्ति उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

विकास की असमानता: भारत में विकास काफी बिखरा हुआ और असमान है। भारत के कई राज्य जो कि काफी विकसित हैं, लेकिन कई राज्य काफी पिछड़े हुए हैं। विकसित राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु जुटाए जाने वाले संसाधन भी काफी मंहगे हैं जैसे- मकान, भोजन व अन्य जरूरतें। इस कारण इन जगहों तक सभी की पहुँच भी नहीं हैं और जो श्रम शक्ति इन शहरों या राज्यों से जुड़ी हैं वे शहरी गरीबी की चपेट में हैं। कई दफा उन्हें स्थानीय हिंसा या शासकीय आदेशों के कारण भी समस्या का सामना करना पड़ता है। विगत वर्षों में देश की

राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

बेरोजगारी: भारतीय श्रमशक्ति जिसके सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। लाखों की संख्या में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। वे लोग जो अनियमित वेतन या मजदूरी में संलग्न हैं, उन्हें भी पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की समस्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

नियमों के क्रियान्वयन में कमी: सरकार द्वारा जितने भी कानून कार्यशील जनसंख्या के लिये बनाए गए हैं। उनके क्रियान्वयन में काफी दोष है। कार्य स्थल पर शोषण, कई संस्थाओं द्वारा कार्य के अनुरूप वेतन न प्रदान करना, कर्मचारियों में लैंगिक भेदभाव आदि समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं।

एनएसडीसी की कमियाँ

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा भारतीय श्रमशक्ति को और भी सामर्थ्यवान बनाने के लिये किये जा रहे प्रयास में कई कमियाँ हैं। इस संस्था द्वारा कौशल विकास के लिये चलाए जा रहे कोर्स से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति वास्तव में अपनी कुशलता का व्यवहारिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस समस्या पर गौर करें तो इनमें कई व्यवहारिक बाधाएँ हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है; उदाहरण के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को 100 प्रतिशत रोजगार नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास की कमी से वे अपने काम की तकनीक व छोटी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।

स्वरोजगार की शुरूआत करने के लिये उपयोगी सूचनाओं की कमी, धन की कमी आदि कमियों की पूर्ति हेतु इस संस्थान द्वारा कोई व्यवस्थित शृंखला सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्रमशक्ति को कानूनी सुरक्षा

देखा जाए तो हर भारतीय को कार्य करते हुए अपने-आप को सुरक्षित करने की कई कानूनी सुविधाएं दी गई हैं। यह सुरक्षा मजदूरी करने वाले से लेकर बड़ी-बड़ी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों तक को प्राप्त है जिसके तहत वे स्वयं को शोषण, भेदभाव से बचा सकते हैं तथा अपनी सामाजिक सुरक्षा को भी बनाए रख सकते हैं। इनमें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन देयता अधिनियम 1936, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि फाउंडेशन, मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम, 1961 औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 तथा भारतीय रेलवे अधिनियम आदि शामिल हैं।

आगे की राह

वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है जिसकी संख्या 2050 तक 1.64 बिलियन का आंकड़ा पार कर जायेगी। वर्ष 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जहां जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, वहीं उत्तर-पूर्व मध्य के राज्यों में यह सकारात्मक है। इस असन्तुलन से जनांकिकीय श्रमबल लाभांश का संतुलन भी बिगड़ सकता है। भारत में जनसांख्यिकी श्रमबल लाभांश का लाभ तभी उठाया जा सकता है- जब रोजगार व खर्च को बढ़ाया जाए। युवाओं में कौशल विकास को वास्तविकता की धरातल पर लाने के लिये उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दी जाए। घरेलू महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाए ताकि श्रमबल में उनकी भागीदारी बढ़े। विकास के केन्द्रीकरण को रोका जाए। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की निरन्तरता को बरकरार रखा जाए। समाज से लैंगिक असमानता, पर्याप्त अवसर की कमी तथा भेदभाव जैसी बाधा डालने वाली सभी कमियों को दूर कर दिया जाए।

उक्त उपायों द्वारा ही भारत जनसांख्यिकी श्रमबल लाभांश को अर्थव्यवस्था के लिये उपयोगी बना सकेगा और तभी भारत विश्वस्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को शीर्ष देशों में स्थापित कर सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

सम-सामयिक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में पवन ऊर्जा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

प्र. भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उससे होने वाले लाभ एवं समस्याओं की व्याख्या करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर चीन और अमेरिका ने पवन ऊर्जा से संबंधित अपनी शक्ति दोगुनी कर ली है। वैश्विक विद्युत उत्पादन के अक्षय ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा का भाग बढ़ रहा है।

पवन ऊर्जा की संभावना

- विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से पवन ऊर्जा एक प्रमुख स्वीकृत स्रोत है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पवन की उपलब्धता निःशुल्क और कभी समाप्त नहीं होने वाली है। किसी भी देश या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का इस पर एकाधिकार नहीं है, जैसा कि सीमित जीवाश्मीय ईंधनों के साथ है। चूंकि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के बदले निश्चित रूप से पवन ऊर्जा एक आसान विकल्प साबित हो सकता है।

बढ़ती ऊर्जा की माँग एवं पर्यावरणीय महत्त्व

- भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से एवं पाँच गीगावाट लघु पनबिजली से, नवीकरणीय ऊर्जा को संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा योजना, नहर के बांधों तथा नहरों के ऊपर सीपीयू सोलर पीवी पॉवर प्लांट के लिए सौर योजना, सोलर पंप, सोलर रूफटॉप के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

पवन ऊर्जा के लाभ

- स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा, सुविधाजनक, यह सुरक्षित है, अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं आदि।

पवन ऊर्जा के विकास में बाधाएँ

- दक्षिण के प्रमुख राज्यों के अंतर्विरोधों के चलते पारेषण लाइनों (Transmission Lines) के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।
- अवसंरचना विकास के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है।
- बिजली उत्पादन कम्पनी में वित्त एवं तकनीकी की कमी ने भी पवन ऊर्जा के प्रभावी विकास में बाधा उत्पन्न की है।

आगे की राह

- भारत में पवन ऊर्जा विकास के लिये तटीय क्षेत्रों में पौधों को लगाया जाना होगा। पवन टॉवरों की उन्नत तकनीकी का प्रयोग करना होगा, साथ ही जैव-ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबन्धन ऊर्जा एवं भूतापीय तथा समुद्री ऊर्जा के विकास के लिये नई प्रौद्योगिकी को बढ़ाना होगा जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। ■

2. चुनावी बॉण्ड की पारदर्शिता एवं विवाद

प्र. चुनावी बॉण्ड से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि यह प्रणाली चंदे में पारदर्शिता लाने में सफल रही है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में चुनावी बॉण्ड (म्समबजवतंस ठवदक) को औपचारिक भ्रष्टाचार का स्रोत बताते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया। इसके फलस्वरूप चुनावी चंदे की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है।

चुनावी बॉण्ड की प्रक्रिया

- केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉण्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉण्ड से मतलब एक ऐसे बॉण्ड से होता है, जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी कीमत लिखी होती है। इस बॉण्ड का प्रयोग व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को रकम दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नकद चंदे के रूप में दो हजार से बड़ी रकम नहीं ली जा सकती है। चुनावी बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख तथा एक करोड़ रुपये के मूल्य के होते हैं, जो बॉण्ड खरीदे जाने के केवल 15 दिनों तक ही मान्य रहते हैं।

सरकारी प्रयास

- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29-बी में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है। परन्तु 1968 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

चुनौतियाँ

- राजनीतिक दलों की फंडिंग में अज्ञात स्रोतों से आने वाले आय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पिछले 15 वर्षों में अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले

राजनीतिक दलों के चंदे की मात्रा काफी ज्यादा रही, लेकिन चुनावी बॉण्ड से भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया।

आगे की राह

- राष्ट्रीय चुनावी कोष बनाया जाए जिसमें सभी दानदाता योगदान दे सकें।
- कोष में जमा राशि को मिलने वाले वोटों के अनुपात में राजनीतिक दलों के बीच आवंटित किया जाना चाहिए।
- इससे न केवल दानदाताओं की पहचान सुरक्षित होगी बल्कि राजनीतिक चंदे से काला धन भी खत्म हो जायेगा। ■

3. ग्रामीण भारत में गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप

प्र. ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारकों का वर्णन करते हुए बताएँ कि सरकार गाँवों में स्थित बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी कम करने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है। इस संदर्भ में भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इससे पूर्व विश्व आर्थिक मंच ने भी गरीबी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके मुताबिक भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल रहेगा।

ग्रामीण गरीबी के कारण

- ग्रामीण भारत के अधिकांश किसान अभी भी कृषि के प्राचीन तरीकों पर ही निर्भर हैं जिसके कारण वार्षिक उत्पादन अकसर बहुत कम होता है।
- खराब आपूर्ति शृंखला और प्रबंधन की कमी के कारण भी किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि किसानों की कड़ी मेहनत का अधिकतम लाभ आपूर्ति शृंखला के शीर्ष पर रहने वाले लोग उठाते हैं।
- कई ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इनमें स्वच्छता, बुनियादी ढाँचा, संचार और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव है।

भारत में गरीबी कम करने के प्रयास

- पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफी बढ़ोत्तरी की गई है।
- इसके अलावा, ग्रामीण गरीबी कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देने, कृषि मंत्रालय और गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे व आजीविका के अन्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का पूर्ण अंतरण जैसे कदम भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस धनराशि का काफी बड़ा हिस्सा रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर खर्च हुआ है।

चुनौतियाँ

- गाँव वर्तमान समय में भी सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के लगभग हर पहलू पर पीछे दिखाई देते हैं।
- भारत ने समृद्ध शहरों और गरीब गाँवों की अर्थव्यवस्था बनाई है जिससे शहरी क्षेत्रों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आ रही है।
- स्वयं सहायता समूहों की प्रगति काफी सराहनीय रही है परंतु देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का असमान वितरण या असंतुलित विकास है।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, यातायात सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कृषि समस्याओं को हल करने के लिये किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ■

4. भारत में बाल अधिकार : एक विश्लेषण

प्र. भारत में बाल अधिकारों के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करते हुए मुख्य चिंताओं को भी रेखांकित करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (World Children's Day) प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गयी थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

- इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानवाधिकार हैं। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं- जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में गैर-कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार।

भारत में बाल अधिकार

- **अनुच्छेद 21-क:** 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(ङ):** आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या समता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 39(च):** बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ मुहैया कराना और शोषण से बचाना।

भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएँ

- नीति आयोग के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब तीन लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है।

बाल विकास के लिए योजनाएँ

- आंगनवाड़ी सेवा, किशोरी योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, बाल संरक्षण सेवा आदि।

बाल संरक्षण कानून

- बाल विवाह (निषेध) अधिनियम, 2006, बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 इत्यादि।

आगे की राह

- बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख हो।
- शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो।
- शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अत: बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हों। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय। ■

5. डिजिटल डेमोक्रेसी : उदार लोकतंत्र के लिए खतरा

प्र. डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है? इससे उभरने वाली चुनौतियाँ और समाधान का सविस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सन्दर्भ

- हाल के कुछ वर्षों में इंटरनेट ने भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। भारत सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है।

डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है

- डिजिटल लोकतंत्र (इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन), को ई-डेमोक्रेसी या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21 वीं सदी की सूचना तंत्र और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना क्रांति की आवश्यकता है।

तकनीकी कंपनियों की बढ़ती ताकत

- सबसे पहले एक सवाल उठता है कि क्या डिजिटल तकनीक और कॉर्पोरेट एल्गोरिथम (Algorithm) की वजह से आज सत्ता की ताकत, बड़ी तकनीकी कंपनियों के हाथ में जा रही है? लेकिन आज बहुत से देश डिजिटल टूल्स (Tools) का इस्तेमाल करके अपने देश की जनता पर नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी तकनीकी कंपनियों ने तकनीक की मदद से बहुत बड़ा बाजार हथिया लिया है। इससे उनके हाथ में सियासी ताकत भी बहुत आ गई है।

डिजिटल डेमोक्रेसी के समक्ष चुनौतियाँ

- सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति के हिसाब से विज्ञापन तैयार करना और इनकी नेटवर्क संरचना का जोखिम ये है कि इनसे एक तरह के लोगों के गिरोह तैयार होने का डर होता है। तकनीकी कंपनियाँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वैसी सामग्री को फिल्टर कर देते हैं, जिन्हें कोई शख्स देखना पसंद न करें। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें इस्तेमाल करने वालों को वही दिखता है, जिससे उनके विचार मेल खाते हैं। इससे कोई भी यूजर अपनी पसंद की वेबसाइट पर ज्यादा समय बिताता है।

निष्कर्ष

- लोकतंत्र का मतलब केवल हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति या बहुसंख्यकों द्वारा फैसला लेना भर नहीं है। इसका मतलब कानून का शासन होना, लोकतंत्र में हर समुदाय की नुमाइंदगी होना, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में अथाह ताकत होने से रोकना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना भी है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही हमें लोकतंत्र के तमाम पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इन डिजिटल बदलावों के असर पर न सिर्फ निगाह रखनी चाहिए बल्कि उसकी नियमित रूप से समीक्षा भी करनी चाहिए। ■

6. रणनीतिक विनिवेश : आर्थिक विकास में कितना सहायक

प्र. विनिवेश से आप क्या समझते हैं? क्या इस कदम से अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI),टीएचडीसीएल, नीपको के विनिवेश को मंजूरी दी है।

रणनीतिक विनिवेश क्या है

- सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट (DisInvestment) कहलाती है। कई कंपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है। आम तौर पर इन कंपनियों को

सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं। समय-समय पर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला लेती रहती है। अकसर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशकों को उस पीएसयू (PSU) में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है।

क्यों विनिवेश पर जोर दे रही सरकार

- केंद्र सरकार विनिवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है। आंकड़े बताते हैं कि देश की जीडीपी की रफ्तार सुस्त है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) समेत अन्य आर्थिक आंकड़े भी निराश करने वाले हैं। इसी तरह, राजकोषीय घाटा कम करने या टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशें भी काम नहीं आ रही हैं।

विश्लेषकों की राय

- आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक इकाइयों की समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि इनका कामकाज सरकारी ढंग से ही चलता रहता है। कंपनियों के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होता है। निवेशकों की कंपनी के कार्यकलापों पर नजर रहती है। प्रबंधन में गड़बड़ी होने पर शेयर के दाम घटने लगते हैं और सरकार सचेत हो जाती है।

पीएसयू कंपनियों की स्थिति

- जानकारों के मुताबिक सरकार पीएसयू के विनिवेश को बढ़ावा दे रही है और बड़े पीएसयू पर घाटे में चल रही अन्य सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी सरकार से खरीदने का दबाव है। इसके साथ ही उच्च लाभांश भुगतान की स्थिति बनी हुई है। उच्च लाभांश भुगतान का अर्थ है कि पीएसयू निवेश के बजाय अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्से शेयर होल्डर में बांट रहे हैं।

आगे की राह

- दरअसल सरकार ने इस वित्त वर्ष में कर संग्रह का लक्ष्य 24.6 लाख करोड़ रुपये रखा है, लेकिन उसमें दो लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है। ऐसे में, विनिवेश के बड़े कदम से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर्जमुक्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। इससे राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी तक सीमित रखा जा सकेगा। ऐसा होने पर वित्तीय स्थिरता दिखाई देगी, आर्थिक सुस्ती नियंत्रित होगी, अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी, देश में विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आगामी 31 मार्च तक विनिवेश के 1.05 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को विनिवेश लक्ष्य और बेहतर मूल्य हासिल करने के बीच उपयुक्त संतुलन बनाना होगा। ■

7. भारत के जनांकिकीय श्रम बल लाभांश में वृद्धि : एक अवलोकन

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमबल की स्थिति का विश्लेषण करते हुए उसके समक्ष भविष्य की चुनौतियों की व्याख्या करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आँकड़ों के आधार पर श्रम बल विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 2023 तक भारत की जनांकिकीय श्रमबल लाभांश में वृद्धि होगी।

परिचय

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत, वित्त मन्त्रालय के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से किया गया है। इस निगम में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का 49 प्रतिशत का हिस्सा है तथा 51 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रमबल

- भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की दर 7 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक हो सकती है तथा अगले वित्त वर्ष 2020-21 का अनुमान 6.9% तथा 2021-22 के लिये 7.2% का अनुमान लगाया गया है। वहीं विश्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार भी 2020-21 के लिये 6.9% तथा 2021-22 के लिये 7.2% तक का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। श्रमबल का वास्तविक विकास तो तभी हो सकता है जब उन्हें उसी अनुपात में रोजगार भी प्रदान किया जाये। यदि रोजगार निर्माण नहीं है तो भारत को वास्तविक रूप से 'श्रमबल लाभांश' का फायदा नहीं मिल पाएगा जो यह दर्शाता है कि सरकार के पास नकदी की कमी है। हमारी अर्थव्यवस्था की स्थितियां और बढ़ते श्रमबल का आनुपातिक सहसंबंध अनुकूल नहीं दिखलाई पड़ रहा है।

भारतीय श्रमबल की चुनौतियाँ

- अधिशेष श्रमबल, अकुशल श्रमबल, कुशल श्रमिकों की खपत में कमी, श्रमबल में खामियाँ, कार्य संस्कृति, विकास की असमानता, बेरोजगारी, नियमों के क्रियान्वयन में कमी, इत्यादि।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है जिसकी संख्या 2050 तक 1.64 बिलियन का आंकड़ा पार कर जायेगी। वर्ष 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जहां जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, वहीं उत्तर-पूर्व मध्य के राज्यों में यह सकारात्मक है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

महारत्न कम्पनियाँ

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 'महारत्न' का दर्जा दिया है।

1.2 गौरतलब है कि पूर्व में भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियाँ थीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सूची में जुड़ने के बाद इनकी संख्या 10 हो गई है।

दस कंपनियों की सूची

2.1 भारत की 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है, इनमे हैं- ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल इंडिया, कोल इंडिया, सेल, भेल,गेल, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है।

महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मानदंड

3.1 कंपनी को 'नवरत्नज' का दर्जा प्राप्त होना चाहिये साथ ही सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिये

3.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिये। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध सम्पत्ति 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिये।

3.3 कर अदायगी के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिये।

3.4 वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस होने चाहिये।

महारत्न दर्जे के लाभ

4.1 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से उनके निदेशक मंडल के पास वित्तीय निर्णय के अधिक अधिकार होंगे।

4.2 महारत्न का दर्जा प्राप्त कम्पनियां वित्तीय संयुक्त उपक्रम और पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियों में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं।

4.3 महारत्न कंपनियाँ अपने निवल मूल्य के 15% और 5000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण कर सकती हैं।

नवरत्न कंपनी

5.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न को एक हजार करोड़ रुपये या एक परियोजना में उसके कुल मूल्य का 15 फीसदी तक बिना सरकारी मंजूरी के निवेश करने का क्षमता प्रदान करता है।

5.2 एक साल में ऐसी कंपनियां कुल मूल्य का 30 फीसदी तक खर्च कर सकती हैं परंतु यह एक हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मौजूदा दौर में 14 नवरत्न कंपनिया हैं।

महारत्न कंपनी का निर्धारण कैसे

6.1 भारत सरकार का लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) का नोडल विभाग है जो CPSEs से संबंधित नीतियां तैयार करता है।

6.2 आज के समय में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए एलिजब्लिटी क्रिटेरिया निर्धारित किया गया है।

6.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की वे कंपनियां जिन्होंने पिछले तीन सालों से लाभ कमाया हो और जिनकी कुल संपत्ति धनात्मक हो। इस तरह कंपनी को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है।

लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2019 (Labour Code on Industrial Relations bill, 2019) विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद से इसे मंजूरी मिलने के बाद कंपनियाँ फिक्स्ड टर्म यानी किसी भी खास अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगी।

वर्तमान स्थिति

2.1 मौजूदा नियमों के मुताबिक, यदि किसी कंपनी में 100 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो छंटनी से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है।

2.2 कई कंपनियां कार्य को देखते हुए तीन अथवा छह महीने के लिए कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर नियुक्त करती हैं। इन कर्मचारियों को रखने से कंपनियों को अपने स्थाई कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन देना होता है।

2.3 इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को मेडिक्लेम या फिर अन्य तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। खासतौर पर मजदूरों को रोजाना की दिहाड़ी पर रखा जाता है, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है।

कई कानून समाप्त

3.1 सरकार ने पहले से चल रहे 44 श्रम कानूनों को खत्म करते हुए चार कोड में इसे समाहित करने का फैसला किया है। यह कोड हैं वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्युरिटी और सेफ्टी, हेल्थ व वर्किंग कंडीशन।

3.2 इनमें से वेतन कोड को संसद से अगस्त में मंजूरी मिल गई थी। वहीं हेल्थ व सेफ्टी वाले लेबर कोड को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

बदलाव क्या होंगे

4.1 नए वेतन विधेयक में मजदूरों से जुड़े चार कानूनों को मिलाया गया है। साथ ही सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है।

4.2 नए विधेयक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है।

4.3 केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किए गए नए वेतन विधेयक से केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों का वेतन तय करने का अधिकार मिल गया है। साथ ही केंद्र के फैसले को सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से मानने के लिए कहा गया है। हालांकि, राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तय किए गए न्यूनतम वेतन में अपने हिसाब से बढ़ोत्तरी दर्ज कर सकती हैं।

4.4 अभी देश में केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतनमान हैं। नए वेतन विधेयक में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

4.5 जानकारों के अनुसार, अभी केंद्र और राज्य की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनको 8000 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है। लेकिन नए वेतन विधेयक के पारित होने के बाद सभी उद्योगों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय हो सकेगा।

4.6 नए कोड में 100 कर्मचारियों की सीमा तो बरकरार रखी गई है, लेकिन साथ में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है। इसके मुताबिक, कोई भी कंपनी अधिसूचना के जरिए 100 कर्मचारियों की सीमा घटा या बढ़ा सकती है।

4.7 इसमें 'फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट' की बात कही गई है, जिसका मतलब है कि सीजन और ऑर्डर के आधार पर केवल तीन या छह महीने के लिए भी कर्मचारी नियुक्ति किए जा सकते हैं, अर्थात कर्मचारियों को केवल 6 महीने के लिए भी नौकरी पर रखा जा सकता है। इससे सभी कर्मचारियों को एक समान अधिकार मिलेगा।

4.8 इसका फायदा यह होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कंपनी में स्थायी कर्मचारी की तरह सुविधा मिलेगी, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी वेज सिक्योरिटी, मेडिकल सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यप्रणाली का लाभ मिलेगा।

विवाद निपटान ट्रिब्यूनल

5.1 गौरतलब है कि इस विधेयक को लेकर अगर कोई विवाद होता भी है तो इसके लिए सरकार ने दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इंडस्ट्री के बीच के विवाद का निपटारा हो सकेगा।

सेरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 सेरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 को राज्यसभा ने प्रवर समिति को भेज दिया है। समिति तय समय सीमा में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में लोकसभा में सेरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया था।

प्रवर समिति के पास भेजने का कारण

2.1 संसद सदस्यों ने विधेयक में कमियों और अनेक विसंगतियों का हवाला दिया था। इसमें करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा सबसे अहम मसला था।

2.2 इसके अलावा विधेयक में राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड, राज्य सेरोगेसी बोर्ड गठित करने और सेरोगेसी नियमों की निगेहबानी के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधानों पर सदस्यों ने शंकाएं जताई थीं।

क्यों लाया गया विधेयक

3.1 विधेयक कहता है कि कानून के बगैर सरोगेसी एक अनियंत्रित कमर्शियल पेशा जैसा बन जाएगा, अनैतिक कार्य होंगे, सरोगेट मांओं का शोषण होगा, सरोगेसी से पैदा बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण और अंडाणु या शुक्राणुओं की खरीद बिक्री भी हो सकती है।

विधेयक में प्रावधान

4.1 विधेयक यह कहता है कि सरोगेट मदर को लाभार्थी का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, वह भी ऐसी महिला 'जिसकी शादी हो चुकी हो और उसका अपना बच्चा हो' और उसकी उम्र 25-35 साल की होनी चाहिए।

4.2 कोई भी महिला सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। इस तरह के गर्भ को तभी हटाया जा सकता है जब सरोगेट मदर की लिखित में अनुमति हो और उचित प्राधिकारी की भी अनुमति हो।

4.3 विधेयक सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे का परित्याग रोकने का भी प्रावधान करता है और उसके वे सारे अधिकार सुनिश्चित करता है जो कि किसी जैविक पुत्र के होते हैं।

संसदीय समिति के सुझाव

5.1 संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि इस विधेयक में 'करीबी रिश्तेदार', 'बांझपन' को परिभाषित किया जाना चाहिए। सिर्फ 'परोपकारी सरोगेसी' का प्रावधान हटाना चाहिए।

5.2 महिला के अबॉर्शन के लिए लिखित अनुमति का प्रावधान नहीं होना चाहिए।

5.3 समिति ने सरोगेसी को 'करीबी रिश्तेदार' तक सीमित करने और इसे 'परोपकारी' बनाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सामाजिक, कानूनी, भावनात्मक और नैतिकता के चलते पारिवारिक दबाव के कारण महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाएगी और उनका शोषण होगा।

5.4 समिति ने सिर्फ कानूनी रूप से शादीशुदा और उन्हें बांझ होने के प्रमाणपत्र की शर्त पर भी आपत्ति जताई थी। प्रमाणपत्र की शर्त को अनावश्यक बताते हुए समिति ने कहा था कि इसे शादीशुदा जोड़ों तक सीमित कर देने पर विधवाओं, तलाकशुदा औरतों, लिव इन जोड़ों के पैरेंट्स बनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। किसी महिला के साथ बांझ होने का लांछन जोड़ देना न्यायपूर्ण नहीं है।

सरोगेसी क्या है

6.1 सेरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला किसी अन्य युगल के बच्चे को अपने पेट में पालती है और उसे जन्म देती है। सेरोगेट मां उस बच्चे की आनुवंशिक मां कही जा सकती है।

6.2 किसी महिला के बांझ होने, उसके प्रसव में जोखिम होने या अन्य शारीरिक परेशानी की वजह से कई बार गर्भधारण करने पर उसके जीवन पर संकट मंडराने की आशंका जतायी जाती है। ऐसी स्थिति में सेरोगेट गर्भावस्था का इंतजाम किया जाता है। इसमें बच्चा चाहने वाले इच्छित पति-पत्नी के शुक्राणुओं और अंडाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है।

लाभ

7.1 यह विधेयक सरोगेसी (किराए की कोख) के प्रभावी नियमन को सुनिश्चित करेगा, व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करेगा और बांझपन से जूझ रहे भारतीय दंपतियों की जरूरतों के लिए सरोगेसी की इजाजत देगा। विधेयक उन्हीं दंपतियों को सरोगेसी की इजाजत देता है, जो गर्भधारण नहीं कर सकते।

आलोचना क्यों

8.1 'संस्कारी बिल' कहकर इसकी आलोचना की जा रही है क्योंकि यह अकेले रहने वाले पुरुषों और होमोसेक्सुअल पुरुषों के पिता बनने पर रोक लगाता है।

राज्यसभा का 250वाँ सत्र

सुर्खियों में क्यों

1.1 भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के 250वाँ सत्र के अवसर पर भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को याद किया जाना चाहिए। विदित हो कि राज्य सभा ने 1952 से लेकर अब तक पिछले 67 वर्षों में 5,466 बैठकों में 3,817 विधेयक पारित किए हैं।

प्रमुख बिंदु

2.1 राज्य सभा ने पिछले और 249वें सत्र की समाप्ति तक 3,817 विधेयक पारित किए। इनमें से 60 विधेयक अलग-अलग समय पर लोक सभा भंग होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि 63 विधेयकों को ऊपरी सदन द्वारा पारित मान लिया गया।

2.2 अपनी पिछली 67 वर्षों की शानदार मौजूदगी 2,282 व्यक्तियों को सदन का सदस्य बनने का अवसर मिला है जिनमें 208 महिलाएँ और 137 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। इससे सदन की 1950 के दशक से लेकर अभी तक की सार्थक यात्रा का पता चलता है। डॉ. महेन्द्र प्रसाद सबसे अधिक सात बार सदस्य रहे और डॉ. मनमोहन सिंह का छठा कार्यकाल चल रहा है।

राज्यसभा की भूमिका

3.1 1952 में इसकी अवधारणा से लेकर अब तक राष्ट्रहित में लगातार इस सदन का योगदान रहा है। 1952 में हिंदू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक से लेकर 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 तक राज्य सभा ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक लंबा, शालीन और प्रभावशाली प्रभाव छोड़ा है जो अमिट है।

3.2 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक से लेकर 7 अगस्त 2019 में इसके 249वें सत्र तक ऊपरी सदन ने कुल 5466 बैठकें कीं। इस अवधि के दौरान सदन ने 3817 विधेयक पास किए जिनमें 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक भी शामिल हैं।

3.3 निरंतरता की वजह से इसकी मौजूदगी का प्रभाव हमेशा बढ़ता रहा है। देश की द्विसदन संसदीय व्यवस्था में लोक सभा जहाँ हर पाँच साल बाद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले ही भंग हो जाती है वहीं राज्यसभा लगातार अस्तित्व में बनी रही है।

3.4 गरीबी उन्मूलन का मामला हो या फिर अशिक्षा को मिटाना, बीमारियाँ, बेरोजगारी, आतंकवाद, सामाजिक,राजनीतिक, आर्थिक समस्याएँ या जलवायु परिवर्तन का समाधान तलाशना हो या फिर बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण हो राज्यसभा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

3.5 हालिया समय में वस्तु व सेवा कर, तीन तलाक, अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे महत्त्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा ने पारित किए हैं।

3.6 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को सबसे पहले सदन के प्रथम नेता एन गोपालस्वामी अय्यंगर द्वारा राज्यसभा में ही पेश किया गया था। दशकों बाद इस अनुच्छेद को ऊपरी सदन ने ही समाप्त कर दिया।

3.7 भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की प्रशंसा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया द्विदलीय प्रणाली और वरिष्ठों के सदन पर लगातार सवाल उठा रही है। इस तरह राज्यसभा की विरासत सभी भारतीयों को गौरवान्वित कर रही है।

राज्यसभा के बारें में

4.1 संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

4.2 तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं।

4.3 अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत होते हैं। गौरतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019 (जीटीआई 2019) जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

2.1 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का व्यापक अध्ययन है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी सम्मिलित है।

2.2 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रत्येक देश को 0 से 10 के बीच स्कोर दिया जाता है।

2.3 जहाँ '0' से तात्पर्य कोई आतंकी प्रभाव नहीं जबकि '10' का तात्पर्य आतंक से सर्वाधिक प्रभावित है।

2.4 यह सूचकांक आतंकवादी घटनाओं, घातक घटनाओं, चोटों और संपत्ति की क्षति जैसे संकेतकों का उपयोग करता है।

वैश्विक स्थिति

3.1 लगातार चौथे वर्ष 2018 में आतंकवाद से होने वाली मौतों की कुल संख्या में 15.2% की कमी के साथ 15,952 मौतें हुई हैं।

3.2 71 देशों में 2018 में आतंकवाद से कम से कम एक मौत दर्ज की गई है, 2002 के बाद से यह दूसरे सबसे ज्यादा देश हैं।

3.3 अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वहाँ 7,379 लोगों की मौत हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 59% ज्यादा है और यह सूचकांक में सबसे नीचे है।

3.4 इराक और सोमालिया में क्रमशः आईएसआईएस और अल-शबाब की थमती गतिविधि के कारण आतंकवाद से होने वाली मौतों में बड़ी गिरावट आयी है।

3.5 लगातार दूसरे वर्ष भी आईएसआईएस की गतिविधियों में गिरावट हुयी है, इस समूह की वजह से होने वाली मौतों में 69% और इनके द्वारा की जाने वाली आतंकी घटनाओं में 63% की गिरावट दर्ज की गई है।

3.6 2018 में आतंकवाद का वैश्विक आर्थिक प्रभाव 33 बिलियन डॉलर था, जो 2017 के स्तर से 38% कम है।

3.7 दक्षिण एशिया में 2002 के बाद से आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, जबकि मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में सबसे कम प्रभाव पड़ा है।

3.8 पश्चिम में, खासकर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में दूर-दराज आतंकवाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

3.9 आतंकवादी गतिविधियों का प्राथमिक कारण संघर्ष है। 2018 में, आतंकवाद से 95% मौतें उन देशों में हुई जहाँ हिंसक संघर्ष हो रहे थे।

3.10 महिला आत्मघाती हमलों की घटनाएं 2013 में चार से बढ़कर 2018 में 228 हो गईं।

3.11 आईएसआईएस में शामिल होने वाली महिलाओं में सर्वाधिक 31% के साथ एशिया पैसिफिक प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर 24% के साथ यूरोप था।

भारत की स्थिति

4.1 2018 में आतंकवाद से सबसे अधिक मौतें झेलने वाले देशों में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। भारत को इस सूची में अधिकांश देशों की तुलना में आतंकवाद से अधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

4.2 भारत में सक्रिय समूहों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), पंजाब के सिख अलगाववादी और असम में एक अन्य अलगाववादी आंदोलन शामिल हैं।

4.3 भारत में कुल 788 घटनाएं हुई जिसमें 350 मौतें और 540 लोग घायल हुए हैं। 2018 में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं ज्यादा प्रभावित रहा है। अकेले इसी राज्य में 321 घटनाओं में 123 मौतें हुई हैं।

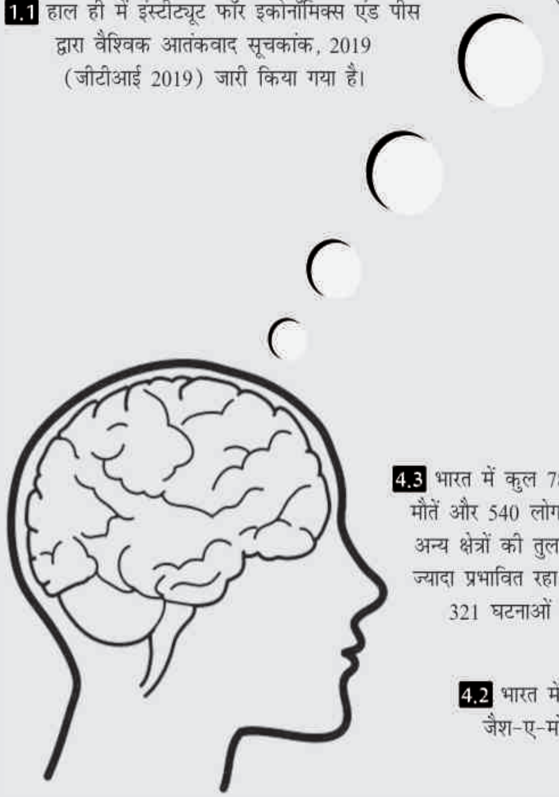

एवियन बोटुलिज्म

सुर्खियों में क्यों

1.1 भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) ने सांभर झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण 'एवियन बोटुलिज्म' नामक बीमारी को बताया है।

1.2 भारत में पक्षियों की मौत के लिए जिम्मेदार 'एवियन बोटुलिज्म' का प्रभाव पहली बार देखा गया है।

1.3 गौरतलब है कि सांभर झील में 18,000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गये हैं।

एवियन बोटुलिज्म क्या है

2.1 बोटुलिज्म पक्षियों के मृत्यु के सबसे आम कारणों में से एक है। यह संक्रमण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन (Clostridium Botulinum) नामक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है।

2.2 यह बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, नदी और समुद्री पानी में पाया जाता है।

2.3 बोटुलिनम आठ प्रकार का होता है- A, B, C, C_2, D, E, F और G और निदान के दौरान ही इसकी पहचान की जा सकती है।

2.4 सभी प्रकार का बोटुलिज्म विष तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और इससे पेशीय पक्षाघात हो जाता है। बोटुलिज्म मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिए हानिकारक होता है। बोटुलिनम A, B और E मनुष्यों को और C पक्षियों को प्रभावित करता है।

2.5 एवियन बोटुलिज्म का प्रकोप तब बढ़ता है जब सूखे की स्थिति होती है और औसत ताप 21°C से अधिक होता है।

सांभर झील मामला

3.1 सांभर झील में पक्षियों की मौत के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न एवियन बोटुलिज्म है। आमतौर पर सांभर झील के पानी का उतार-चढ़ाव रहता है लेकिन इस वर्ष अच्छे मानसून ने इस बैक्टीरिया के फैलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया।

3.2 यह बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बढ़ता है लेकिन अम्लीय परिस्थिति में नहीं बढ़ता है।

3.3 मृत पक्षियों में नॉर्दर्न शावलर, पिनटेल, कॉमन टील, रूडी शेल डक, कॉमन कूट गेडवाल, रफ, ब्लैक हेडड गल, ग्रीन बी ईटर, ब्लैक शेल्डर काइट, कैसपियन गल, ब्लैक विंग्ड स्टील्ट, सेंड पाइपर, मार्श सेंड पाइपर, कॉमस सेंड पाइपर, वुड सेंड पाइपर पाइड ऐबोसिट, केंटिस प्लोवर, लिटिल रिंग्स प्लोवर, लेसर सेंड प्लोवर प्रजाति के पक्षी शामिल हैं।

3.4 छिछले पानी में सूक्ष्म जीव क्रस्टेशियन, इनवर्टिब्रेट, प्लेंक्टोंस विषैले होकर मरने लगे। इनको खाते ही एवियन बोटूलिज्म नाम की बीमारी उत्पन्न हो गई और इससे पक्षियों की सांस घुटने लगीं। सड़े हुए शवों में कीड़े पड़ गए जिन्हें खाने के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया।

3.5 शोधकर्ताओं ने पाया कि यह प्रकोप कीटभक्षी और सर्वाहारा पक्षियों में ही फैला शाकाहारी पक्षियों में इसका प्रभाव नहीं हुआ।

इंसानों पर असर

4.1 बोटुलिज्म का असर इंसानों पर भी पड़ सकता है। इसके चलते इंसान कमजोर हो जाता है। आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। बोलने की क्षमता समाप्त होने लगती है।

4.2 कंधे और पैर कमजोर हो जाते हैं। इस बीमारी का शिकार होने वाले इंसान की उल्टियां शुरू हो जाती हैं।

सांभर झील

5.1 सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में फैली है। इसका कुछ हिस्सा अजमेर जिले में भी आता है। इसे 1990 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था

5.2 यह उत्तरी एशिया (साइबेरिया) से आने वाले फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवास स्थल है।

चिंताएँ

6.1 सांभर झील के पानी में ई-कोलाई, भारी धातुएँ और बैक्टीरिया का संक्रमण पाया गया। झील से नमक उत्पादन करने वाली कंपनी और सैलानियों को आकर्षित करने की मंशा से वहाँ शुरू की गई व्यावसायिक गतिविधियों के चलते झील का पानी प्रदूषित हुआ।

मिजोरम एवं वनाधिकार अधिनियम

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में मिजोरम सरकार ने पारंपरिक रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के वनभूमि अधिकार से संबंधित कानून को निरस्त कर दिया है। सरकार ने यह कहते हुए इस कानून को वापिस लिया कि मिजोरम में यह कानून अप्रासंगिक हैं।

1.2 गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) मिजोरम में प्रभावी था।

अनुच्छेद 371छ

2.1 देश का हर राज्य भूगोल और संस्कृति के हिसाब से अलग-अलग है। कुछ राज्यों की संस्कृति, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते संविधान में विशेष प्रावधान किए गए है।

2.2 1986 में किए गए संविधान के 53वें संविधान संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371छ को जोड़ा गया। इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति-रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी।

2.3 इन सब पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा से मंजूरी के बाद संसद कानून बना सकती है।

2.4 अनुच्छेद 371छ मिजोरम में लागू है। इस अनुच्छेद के तहत मिजोरम में जमीन का मालिकान हक सिर्फ वहाँ बसने वाले आदिवासियों का है।

2.5 कोई बाहर का आदमी मिजोरम में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है। हालांकि वहां निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री खोलने के लिए राज्य सरकार 'मिजोरम एक्ट 2016' के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

वन अधिकार अधिनियम 2006

3.1 इस अधिनियम का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे वनवासियों के वन भूमि पर अधिकार और कब्जे को सुनिश्चित करना है, जो कई पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन इनके अधिकार दर्ज नहीं किये जा सके हैं।

3.2 इस अधिनियम में न केवल आजीविका के लिये स्व-कृषि या निवास के लिये व्यक्ति विशेष या समान पेशा के तहत वन भूमि में रहने के अधिकार का प्रावधान है बल्कि यह वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये कई अन्य अधिकार भी देता है।

3.3 इनमें स्वामित्व का अधिकार, संग्रह तक पहुँच, लघु वन उपज का उपयोग व निपटान, निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार; आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि-पूर्व समुदायों के लिये निवास का अधिकार; ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन जिसकी वे ठोस उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षा या संरक्षण करते रहे हैं, विरोध, पुनर्निर्माण या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।

3.4 वन ग्रामों के विकास के लिये संपर्क, सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल खेती, पीने के पानी, स्वच्छता, समुदाय हॉल जैसी बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं से संबंधित ढाँचागत कार्यों के लिये जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता से फंड जारी किया जाता है।

चिंताएं

4.1 राज्य में ब्रू (रेयांग) जनजाति समुदाय ने राज्य सरकार के इस कदम का विरोध किया हैं। ब्रू-जनजाति समुदाय मुख्यत झूमींग खेती पर निर्भर हैं जो जंगलों को जलाकर की जाती हैं।

4.2 इस कानून को निरस्त करने से संरक्षित वन क्षेत्र के पास रहने वाले आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ब्रू - जनजाति समुदाय जो सीधे तौर पर जंगलों पर निर्भर हैं। उनमें विस्थापन की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

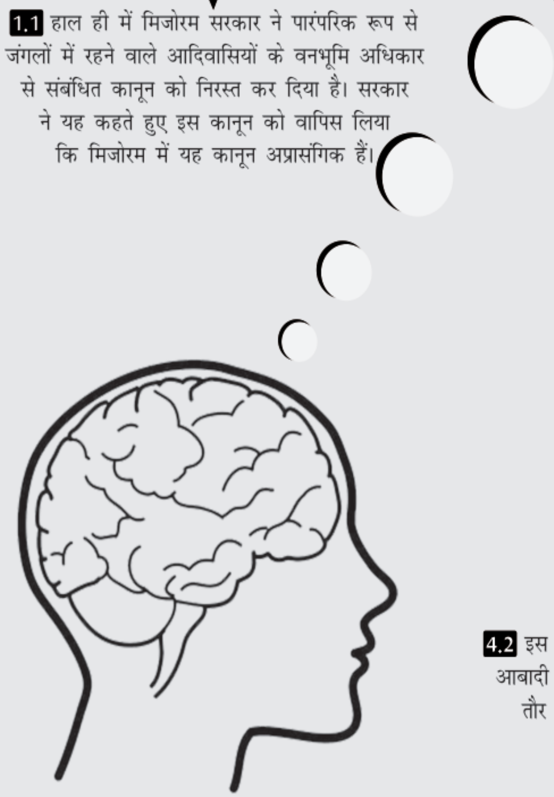

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. महारत्न कम्पनियाँ

प्र. महारत्न कम्पनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से उनके निदेशक मंडल के पास वित्तीय निर्णय के अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
2. महारत्न का दर्जा प्राप्त कम्पनियाँ वित्तीय संयुक्त उपक्रम और पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियों में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं।
3. भारत में वर्तमान में 8 महारत्न कंम्पनियाँ हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्या: हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 'महारत्न' का दर्जा दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियाँ थीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सूची में जुड़ने के बाद इनकी संख्या 10 हो गई है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में देश में केन्द्र और राज्यों के कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान है।
2. लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, 2019 के अनुसार कम्पनियाँ किसी भी खास अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन विधेयक, 2019 (Labour Code on Industrial Relations bill, 2019) को मंजूरी दे दी है। संसद से इसे मंजूरी मिलने के बाद कंपनियाँ फिक्स्ड टर्म यानी किसी भी खास अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक, यदि किसी कंपनी में 100 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो छंटनी से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। अभी देश में केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतनमान हैं। नए वेतन विधेयक में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन दोनों गलत हैं। ■

3. सेरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019

प्र. सेरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सेरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला किसी अन्य युगल के बच्चे को अपने पेट में पालती है और उसे जन्म देती है।
2. यह विधेयक सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे का परित्याग रोकने का प्रावधान नहीं करता है।
3. इस विधेयक के अनुसार सरोगेट मदर की उम्र 35-45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
4. इस विधेयक के अनुसार सरोगेट मदर को लाभार्थी का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तरः (c)

व्याख्या: सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 यह कहता है कि सरोगेट मदर को लाभार्थी का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, वह भी ऐसी महिला 'जिसकी शादी हो चुकी हो और उसका अपना बच्चा हो' और उसकी उम्र 25-35 साल की होनी चाहिए। विधेयक सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे का परित्याग रोकने का भी प्रावधान करता है और उसके वे सारे अधिकार सुनिश्चित करता है जो कि किसी जैविक पुत्र के होते हैं। इस प्रकार कथन 1 व 4 सही है। जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

4. राज्यसभा का 250वाँ सत्र

प्र. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गयी है।
2. राज्यसभा के सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
3. राज्यसभा के दो तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत होते हैं। गौरतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019

प्र. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रत्येक देश को 0 से 10 के बीच स्कोर दिया जाता है।
2. जहाँ '0' से तात्पर्य कोई आतंकी प्रभाव नहीं जबकि '10' का तात्पर्य आतंक से सर्वाधिक प्रभावित है।
3. इस सूचकांक में भारत को पाँचवे स्थान पर रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का व्यापक अध्ययन है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी सम्मिलित है। यह सूचकांक आतंकवादी घटनाओं, घातक घटनाओं, चोटों और संपत्ति की क्षति जैसे संकेतकों का उपयोग करता है। 2018 में आतंकवाद से सबसे अधिक मौतें झेलने वाले देशों में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। भारत को इस सूची में अधिकांश देशों की तुलना में आतंकवाद से अधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

6. एवियन बोटुलिज्म

प्र. एवियन बोटुलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में पक्षियों की मौत के लिए जिम्मेदार 'एवियन बोटुलिज्म' का प्रभाव पहली बार देखा गया है।
2. बोटुलिज्म पक्षियों के मृत्यु के सबसे आम कारणों में से एक है। यह संक्रमण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम (Clostridium Botulinum) नामक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) ने सांभर झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण 'एवियन बोटुलिज्म' नामक बीमारी को बताया है। गौरतलब है कि सांभर झील में 18,000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गये हैं। एवियन बोटुलिज्म का प्रकोप तब बढ़ता है जब सूखे की स्थिति होती है और औसत ताप 21°C से अधिक होता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. मिजोरम एवं वनाधिकार अधिनियम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद 371छ मिजोरम में लागू है।
2. अनुच्छेद 371छ के तहत मिजोरम से बाहर कोई भी व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है।
3. 54वें संविधान संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371छ को जोड़ा गया।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः 1986 में किए गए संविधान के 53वें संविधान संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371छ को जोड़ा गया। इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति-रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। अनुच्छेद 371छ मिजोरम में लागू है। इस अनुच्छेद के तहत मिजोरम में जमीन का मालिकान हक सिर्फ वहाँ बसने वाले आदिवासियों का है। कोई बाहर का आदमी मिजोरम में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है। हालांकि वहां निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री खोलने के लिए राज्य सरकार 'मिजोरम एक्ट 2016' के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकती है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?

- मनीषा कुलश्रेष्ठ

2. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'बोगेनविले' किस देश का प्रांत है?

- पापुआ न्यू गिनी

3. हाल ही में चर्चा में रहा 'लिविंग रूट ब्रिज' किस राज्य से सम्बंधित है?

- मेघालय

4. हाल ही में प्रकाशित 'आर.एन. काओ: जेंटल स्पाईमास्टर' पुस्तक के लेखक कौन हैं?

y

- नितिन गोखले

5. हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद् की स्थापना का निर्णय लिया है?

- छत्तीसगढ़

6. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है?

- Climate Emergency

7. हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सीय तथा औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का निर्णय लिया है?

- मध्य प्रदेश

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. देश में आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी उपक्रमों के विनिवेश संबंधी फैसले का औचित्य बताइए।

2. वित्त आयोग से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'वित्त आयोग संघीय ढाँचे का महत्वपूर्ण अंग है।' अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

3. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की चुनौतियाँ ग्रामीण भारत से अलग हैं? चर्चा करें।

4. नैतिकता से आप क्या समझते हैं? किसी संगठन में वे कौन से कारक होते हैं जो नैतिकता के मानकों को प्रभावित करते हैं?

5. मातृ मृत्यु दर क्या है? वे कौन से कारण हैं जिसके तहत सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट बताया गया है?

6. स्वच्छ विकास तंत्र क्या है? जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में यह कितना कारगर है? चर्चा करें।

7. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को देखते हुए आधार वर्ष को संशोधित किया जाना चाहिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की शारीरिक सक्रियता पर रिपोर्ट

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर एक व्यापक अध्ययन कराया। इस अध्ययन में बच्चों की शारीरिक सक्रियता को मापा गया है। इसके तहत 2001 से 2016 के बीच दुनिया के 146 देशों के 11 से 17 साल के बीच के 16 लाख किशोर शामिल हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 80 फीसद किशोर शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं। इनमें 85 फीसद लड़के और 78 फीसद लड़कियां शामिल हैं। सबसे सक्रिय किशोरों वाले देश में भारत सातवें स्थान पर है।

इस अध्ययन में बांग्लादेश के किशोर शीर्ष स्थान पर है। जबकि दक्षिण कोरिया के किशोर शारीरिक रूप से सबसे निष्क्रिय पाए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में दक्षिण कोरिया सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 11 से 17 साल के हर पांच किशोर में से सिर्फ एक ऐसा है जो खुद को स्वस्थ रखने लायक शारीरिक रूप से सक्रिय है। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया और सूडान जैसे देशों के 90 फीसद किशोर शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं।

बांग्लादेश में 66 फीसदी और भारत में करीब 74 फीसदी किशोर जरूरी मानक यानी एक घंटे से कम शारीरिक कसरत करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों में क्रमशः करीब 34 और 26 फीसद बच्चे इस मानक का पालन करते हैं।

सर्वाधिक सक्रिय किशोरों की श्रेणी में (एक घंटे से कम समय तक शारीरिक व्यायाम करने वाले बच्चों की फीसदी) बांग्लादेश 66.1, स्लोवाकिया 71.5, आयरलैण्ड 71.8, अमेरिका 72, बुल्गारिया 73.3, अल्बानिया 73.9, भारत 73.9, ग्रीनलैण्ड 73.9, फिनलैण्ड 75.4, मालडोवा गणराज्य 75.7 आदि हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2016 में 5-19 आयु वर्ग के 34 करोड़ बच्चे दुनिया में मोटापे के शिकार थे। दिनोंदिन यह संख्या बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने यह सलाह दी कि बांग्लादेश और भारत में क्रिकेट जैसे खेलों के जरिए फिटनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शारीरिक सक्रियता के मामले में चौथे स्थान पर रहने वाले अमेरिकी किशोरों को आइसहॉकी, सॉकर, बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में ज्यादा भागीदारी की सलाह दी है।

इस सूची में कम शारीरिक सक्रिय देश- द. कोरिया, फिलिपींस, कंबोडिया, सूडान, तमोर, जांबिया और ऑस्ट्रेलिया हैं तथा ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करने वाले देश- बांग्लादेश, स्लोवाकिया, आयरलैंड, अमेरिका, अल्बानिया, बुल्गारिया तथा भारत हैं। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देने के लिये फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है। इतना ही नही बच्चों को योगा से जुड़ने के लिये लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ■

2. भारत के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट

हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पिछले तीन वर्षों में आये पर्यटकों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके तहत भारत में 2016 से 2018 तक 3 सालों में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बांग्लादेश, अमेरिका और ब्रिटेन से आए। राज्यों की बात करें तो 2018 में सबसे ज्यादा 60 लाख विदेशी पर्यटक तमिलनाडु में आए। इसके बाद महाराष्ट्र में 50 लाख और यूपी में 37 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे।

बांग्लादेश से भारत आने वाले सैलानियों की संख्या 2016 में 13.80 लाख थी। 2018 में यह करीब दोगुना बढ़कर 22.56 लाख पहुंच गई। वहीं, पाकिस्तान से 2016 में 1.04 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे। 2017 में यह संख्या 44,266 रह गई थी।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2016 में बांग्लादेश से 13.80 लाख, 2017 में 21.56 लाख, 2018 में 22.56 लाख पर्यटक आये। वहीं अमेरिका से 2016 में 12.96 लाख, 2017 में 13.76 लाख, 2018 में 14.56 लाख पर्यटक आये।

यदि पर्यटकों से आय की बात करें तो वर्ष 2016 में 88 लाख पर्यटक आए जिनसे 1.62 बिलियन डॉलर, 2017 में 1.04 करोड़ पर्यटक जिनसे 1.93 बिलियन डॉलर व 2018 में 1.56 करोड़ पर्यटक जिनसे 2.02 बिलियन डॉलर तक की आय प्राप्त हुई। वर्ष 2018 में राज्यवार स्थिति को देखें तो तमिलनाडु में 60.74 लाख, महाराष्ट्र में 50.78 लाख, उत्तर प्रदेश में 37.80 लाख तथा दिल्ली में 27.40 लाख पर्यटक आए।

2017-18 में घरेलू और विदेशी पर्यटकों में देश के 10 सबसे लोकप्रिय स्मारकों में विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल पहले पायदान पर रहा। ऐसे स्मारक जिन्हें देखने के लिए टिकट खरीदना होता है। घरेलू पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थलों में पहले पायदान पर ताजमहल, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा का किला है।

घरेलू और वैश्विक पर्यटकों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में भारत की पहचान आध्यात्मिक पर्यटक स्थल के रूप में रही है। जीडीपी में योगदान के लिहाज से भारत पर्यटन और यात्रा के क्षेत्र में विश्व रैंकिंग में 7वें पायदान पर है।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा (30.5 मिलियन) हो जाएगी, जबकि माना जा रहा है कि 2020 तक देश में मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री 6169 करोड़ रुपये (9 बिलियन डॉलर) कीअपनी क्षमता बढ़ा लेगी। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी है, लेकिन इसके कामयाब होने और कमाई बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता के साथ-साथ सुविधाओं में सुधार लाने की जरूरत है। ■

3. एंटीबायोटिक साक्षरता

लोगों में एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होते देख केरल ने एक अनूठी पहल की है। बीमार होने पर तुरंत ठीक होने के लिए हम जिन एंटीबायोटिक दवाओं के भरोसे रहते हैं, अगर उन दवाओं का असर ही न हो तो समझो हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि बीमारी लंबी हो जाती है। केरल देश का पहला राज्य है जो अपने सूबे की जनता को बताएगा कि बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स कही जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं का कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा क्यों न करें और तारीख निकल चुकी ऐसी दवाओं से दूर रहना क्यों जरूरी है। पूर्ण साक्षरता को लेकर मिसाल बने इस राज्य ने वर्ष 2020 तक खुद को 'एंटीबायोटिक लिट्रेट स्टेट' बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान केरल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान (KARSAP) चलाया है। भारत में ऐसे अभियान की जरूरत हर जगह है।

दरअसल, एंटीबायोटिक्स के गलत उपयोग से शरीर में जीवाणु आसानी से इनका प्रतिरोध करने लगते हैं और बीमारी खत्म करने को लेकर इन दवाओं का असर खत्म हो जाता है। एक समय के बाद यह बेअसर दवा बीमार व्यक्ति को ठीक करने में नाकाम होने लगती है। ■

4. इनसेट 3 डीआर

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिको ने भूस्थिर मौसम उपग्रह इनसेट-3 डीआर लांच करने की योजना बनाई है। भूस्थिर मौसम उपग्रह इनसेट-3 डीआर को जीएसएलवी मार्क-2 से भेजा जाएगा। इनसेट 3 डीआर एक अत्याधुनिक मौसम सैटेलाइट है, जिसमें बेहतरीन इमेजिंग सिस्टम और एटमॉस्फियर साउंडर को लगाया गया है। वैसे तो मौसम की जानकारी के लिए तीन सैटेलाइट कल्पना-1, इनसैट 3 ए और इनसैट 3 डी पहले से ही जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं और मौसम की सटीक जानकारी मौसम विभाग को दे रहे हैं। लेकिन इनसेट 3 डीआर इन तीनों सैटेलाइटों से कई मामलों में एडवांस है।

इनसैट 3 डीआर सैटेलाइट, इनसैट 3 डी का एडवांस वर्जन है। इनसैट 3 डीआर सैटेलाइट मिडिल इंफ्रारेड बैंड की इमेजिंग करने की क्षमता से लैस है और इससे रात के वक्त भी बादलों और कोहरे की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये सैटेलाइट दो थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग के जरिए समुद्र की सतह के तापमान के सटीक आंकड़े दे सकेगा। इससे विदेशी एजेंसियों पर भारत के मौसम विभाग की निर्भरता काफी हद तक घट जाएगी। इन खूबियों के अलावा इनसैट 3 डी आर डेटा रिले ट्रांसपोंडर के साथ-साथ सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर से भी लैस है। इससे किसी आपदा के वक्त लोगों को ढूंढकर बचाने में मदद मिलेगी। ■

5. गिरती अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट

हाल ही में नीति आयोग ने चेताया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर तक अर्थव्यवस्था को पहुँचाने में कई समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुँचाना है तो इसके लिए कम से कम 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो वृद्धि दर है वो पहली तिमाही में करीब 8 प्रतिशत है। इस सन्दर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने आंकड़े जारी किये हैं जिसमें उसने दूसरी तिमाही के दौरान 4.2 प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर बताई है।

नीति आयोग का कहना है कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए घरेलू निवेश और घरेलू मांग में वृद्धि ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन लगभग हर क्षेत्र में निवेश में गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अभी भी पॉवर सेक्टर में सुधार की जरूरत है। उन्होंने घरेलू और औद्योगिक उपयोग के पॉवर टैरिफ में बड़े अंतर को भी चिंता का एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि अभी भी ट्रांसमिशन में 19 प्रतिशत का पॉवर नुकसान हो रहा है। इस मामले में भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी खराब है।

भारत को उच्च क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करना होगा। उदाहरण देते हुए आयोग ने कहा कि भारत को अफ्रीका और मध्यपूर्व के देशों को सस्ते मोबाईल फोन एक्सपोर्ट करने होंगे। आयोग द्वारा बताया गया कि 2017 में कपड़ा निर्यात में भी गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था की गिरावट का एक कारण यह भी है कि 2004 से 2014 के बीच है। हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट में बढोत्तरी हुई जो कि 27 फीसदी तक हो गयी थी।

जीडीपी क्या है

किसी भी देश की वृद्धि दर को जीडीपी के माध्यम से आंका जाता है। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935-44 के दौरान इस्तेमाल किया था। इस शब्द से साइमन ने ही अमेरिका को परिचय कराया था।

ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) किसी

भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। ■

6. पिछले 50 साल में भारत में समुद्र का स्तर 8.5 सेमी बढ़ा

पिछले पांच दशकों में भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में 8.5 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी सरकार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को दी। यह माना जाता है कि भारतीय तट पर समुद्र का स्तर हर साल औसतन 1.70 मिमी बढ़ रहा है। इस प्रकार, पिछले 50 वर्षों में, भारतीय तट पर समुद्र का स्तर 8.5 सेमी बढ़ गया है। इस महासागर में साल 2003 से साल 2013 के दशक के दौरान जल स्तर में 6.1 मिमी सालाना की वृद्धि हुई है।

भारत में समुद्री जल स्तर में वृद्धि

समुद्री जल स्तर में वृद्धि से सुनामी, तूफान, तटीय बाढ़ तथा तट क्षेत्र के कटाव के दौरान निचले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ सकता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों के मुद्दे का मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है। इस संदर्भ में डायमंड हार्बर क्षेत्र में बड़े भूमि उप-विभाजन के कारण जलमग्न होने का अधिक खतरा है। ऐसी ही स्थिति पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया और कांडला बंदरगाहों में भी मौजूद है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी पैनल रिपोर्ट

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी पैनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के जोखिमों का वर्णन किया गया है।
- रिपोर्ट बताती है कि अगर कार्बन उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई गई तो 2100 तक वैश्विक समुद्री जल स्तर में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि मुंबई और कोलकाता सहित सैकड़ों शहर जलमग्न हो सकते हैं।
- साथ ही, समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण कहीं-कहीं तो पूरे के पूरे देश ही जलमग्न हो सकते हैं।
- दीर्घकालिक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के वजह से समुद्री जल स्तर में वृद्धि की निश्चित दर नहीं बताई जा सकती है।
- भारत वैश्विक उत्सर्जन में केवल 6-7 प्रतिशत का योगदान देता है लेकिन भारत सबसे संवेदनशील या संवेदनशील देशों में से एक है। ■

7. K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्म फ्रेमवर्क

हाल ही में अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्म फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत के विद्यालयों को डिजिटल रूपांतरण में सहायता प्रदान करना है। फिलहाल अभी इसे 50 से अधिक देशों द्वारा अपनाया जा चुका है। इसका उद्देश्य विभिन्न टूल उपलब्ध करवाकर स्कूलों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ना है। इसके साथ ही शिक्षा में तकनीकी का समावेश करके बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इस अभियान को विशेषतौर पर चार स्तंभ हैं- 1. शिक्षा से जुड़े लोगों में नेतृत्व व नीति निर्माण की प्रवृत्ति को बढ़ाना। 2. शिक्षा की आधुनिक प्रणाली का प्रसार। 3. शिक्षा के लिये स्वस्थ परिवेश को बनाना। 4. टेक्नोलॉजी ब्ल्यूप्रिंट को प्रोत्साहन।

माइक्रोसॉफ्ट क्या है

ज्ञातव्य हो कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन के रेड्मांड में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करती है। इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एनल ने 4 अप्रैल 1975 में की थी। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 1,34,000 से अधिक लोग कार्य करते हैं। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट का राजस्व 110.36 अरब डॉलर का था।

माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिग (सर्च इंजन) ऑफिस 365, आउटलुक, अज्योर, लिंकडइन (प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क), एक्स बॉक्स (गेमिंग कंसोल) इत्यादि हैं। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास

- भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच 17 से 21 नवम्बर, 2019 तक दोहा के निकट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसे 'जायर-अल-बह्र' (सागर की दहाड़) नाम दिया।
- इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रीगेट आईएनएस त्रिकंड और गश्ती हवाई जहाज पी8-। दोहा गये।
- 'जायर-अल-बह्र' 2019 से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग मजबूत होगा और परिचालन क्षमता बढ़ेगी।
- इस दौरान तीन दिन बंदरगाह पर और दो दिन समुद्र में अभ्यास किया गया। बंदरगाह में संपन्न अभ्यास में गोष्ठी, पेशेवराना बातचीत, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।
- समुद्र में किये गये अभ्यास में सतह पर की जाने वाली कार्रवाई, वायु सुरक्षा और समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई इत्यादि शामिल थीं।
- इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में इजाफा होगा और आतंकवाद, समुद्री डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने तथा समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा।
- आईएनएस त्रिकंड भारतीय नौसेना का अग्रणी फ्रीगेट है। यह जहाज विभिन्न हथियारों और दूर-संवेदी उपकरणों से लैस है। यह जहाज भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है और मुम्बई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ चीफ के परिचालन कमान के अधीन है। जबकि पी8-। गश्ती हवाई जहाज समुद्री निगरानी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है।
- कतर की शाही नौसेना के जो जहाज और पोत अभ्यास में शामिल होंगे, उनमें एंटी-शिप मिसाइल से लैस बरजान क्लोस फास्ट अटैक क्राफ्ट और राफेल युद्धक विमान भी शामिल हैं।

2. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

- राज्यसभा द्वारा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित करने के साथ ही यह विधेयक संसद द्वारा पारित हो गया। लोकसभा 2 अगस्त, 2019 को ही इस विधेयक को पारित कर चुकी थी।
- इस विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का स्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर इसका संचालन करने वाले न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास किया गया है।
- विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा जहाँ विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं हो, तो ऐसे में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यास के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।
- विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि नामित न्यासी को पाँच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।
- संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी है और इस घटना के 100 साल बीत जाने के बाद आवश्यक है कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ये संशोधन इस स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनायेगा।

3. राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेह में आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना का उद्देश्य यह है कि इसे सोवा-रिगपा के प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित किया जाए और सोवा-रिगपा के पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाए। इससे सोवा-रिगपा सम्बंधी विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
- केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के गठन और लद्दाख की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत सरकार ने फैसला किया है कि सोवा-रिगपा औषधि प्रणाली के प्रोत्साहन के सम्बंध में केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना की जाए।
- सोवा-रिगपा भारत की हिमालय पट्टी की एक पारम्परिक औषधि प्रणाली है। यह प्रणाली सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), हिमाचल प्रदेश, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख और अब पूरे भारत में लोकप्रिय है।
- राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना से भारतीय उप-महाद्वीप में सोवा-रिगपा को पुनः जीवित करने में मदद मिलेगी। यह संस्थान न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के सोवा-रिगपा के छात्रों को अवसर प्रदान करेगा।
- यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान होगा, जो सोवा-रिगपा से सम्बंधित विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा। इसके लिए वह प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग करने का अधिकारी होगा तथा औषधि की विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण की दिशा में काम करेगा।
- इस संस्थान की स्थापना से संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य सोवा-रिगपा संस्थानों जैसे केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ (वाराणसी) और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख) के साथ सहभागिता होगी।
- इसके गठन से सोवा-रिगपा उत्पादों से सम्बंधित बेहतर शिक्षा, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन की सुविधा होगी। इसके अलावा सोवा-रिगपा आधारित तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के मानकीकरण तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर विभिन्न विषयों में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
- राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान उत्कृष्ट सोवा-रिगपा उपचार की पहचान करेगा, जिनमें मानक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह गतिविधि पारम्परिक सोवा-रिगपा सिद्धांतों के दायरे में होगी और आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ा जाएगा।

4. ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019

- भारत का पहला सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी हितधारकों का समूह- ग्लोबल बायो-इंडिया (जीबीआई) समिट, 2019 नयी दिल्ली में संपन्न हुआ।
- इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर किया।
- इस आयोजन के लिए अन्य भागीदारों में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (एबीएलई) और इन्वेस्ट इंडिया शामिल थे।
- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग इस मेगा इवेंट की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर सभी हितधारकों के समर्थन से जीबीआई को एक वार्षिक कार्यक्रम में बदलने की योजना बना रहा है।
- इस आयोजन में जैव-प्रौद्योगिकी को तेजी से उभरने वाला क्षेत्र माना गया है जो 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है।
- इस सम्मेलन ने जैव-औषधि, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाएं एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान बनाने, अवसरों का सृजन करने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया।
- यह शिखर सम्मेलन जैव-फार्मा, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाओं तथा संबंधित क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान करने, अवसरों का सृजन करने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस आयोजन में दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइड इवेंट्स यानी 'नैनो-बायोटेक-2019' और 'नैनो फॉर एग्री-2019' का आयोजन किया गया। ये आयोजन नैनो कृषि और नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में हाल के अनुसंधान और विकास को कवर करेंगे।
- यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए एक कार्रवाई योग्य रोडमैप तैयार करने के लिए हितधारकों के बीच विचार-विमर्श और चर्चा करने में मदद करेगा।

5. हरित इस्पात मिशन

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने देश में इस्पात उद्योग से हरित इस्पात मिशन की दिशा में काम करने के लिए कहा है। नई दिल्ली में भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) द्वारा आयोजित इस्पात संगोष्ठी 2019 में अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने कहा एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में हम जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान कर रहे हैं।
- उन्होंने इस्पात उद्योग से 'हरित इस्पात' मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की अपील की।
- इस्पात उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा उनके मंत्रालय ने पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है जो क्षेत्र में स्थित सभी इस्पात संयंत्रों को गैस की आपूर्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन होने के नाते इस्पात उद्योग को कोयले की जगह गैस का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ना चाहिए।
- आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने कहा विश्व औद्योगिक क्रांति 4.0 से गुजर रहा है। बड़े डेटा संकलन, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थव्यवस्था और समाज में आमूल बदलाव ला रहे हैं। इस तरह के बड़े व्यवधानों के बावजूद आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में इस्पात महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- देश में इस्पात की खपत पर धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा भारत में इस्पात का इस्तेमाल बढ़ना तय है। सरकार ने देश में इस्पात के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड बिल्डिंग के तहत एक सहयोगात्मक अभियान 'इस्पाती इरादा' शुरू किया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं देश में इस्पात के उपयोग को और बढ़ावा देंगी।
- बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें इस्पात की बहुत खपत होगी। सरकार के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा इस्पात की खपत में तेजी आएगी।
- राष्ट्र के विकास के लिए हमें घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और इस्पात का बड़ा निर्यातक देश बनना चाहिए। सरकार विभिन्न बाधाओं को पार करने में इस्पात उद्योग को मदद करना जारी रखेगी। सरकार ने इस्पात क्षेत्र से घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने का आह्वान किया और सहायक क्षेत्रों को मदद देने की अपील की। सरकार ने इस्पात उद्योग से अपने संसाधनों की पूलिंग करने और संयुक्त परिवहन सुविधाएं विकसित करने पर विचार करने के लिए कहा।
- भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता-आरसीईपी से हटने के हाल के फैसले को इस्पात के लिए बड़ी राहत बताते हुए सरकार ने कहा कि आरसीईपी की मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हुए इससे बाहर रहने के फैसले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि सरकार के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है।
- सरकार का यह फैसला इस्पात क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
- इस अवसर पर 'भारतीय इस्पात उद्योग की स्थिति' पर एक रिपोर्ट जारी की गई।

6. राज्यपालों का 50वाँ सम्मेलन

- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के दो-दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 50वां सम्मेलन और राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में तीसरा सम्मेलन है।
- दो-दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दों पर चर्चा हुयी। इसमें जनजातीय मुद्दे, कृषि में सुधार, जल जीवन मिशन, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति और जीवनयापन में आसानी और शासन व्यवस्था शामिल थे।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उप-राज्यपालों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जिनमें पहली बार पदभार संभालने वाले 17 राज्यपाल/उपराज्यपाल भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
- सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचे को साकार करने में राज्यपाल पद की विशेष भूमिका है। यह सम्मेलन राज्यपालों और उपराज्यपालों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के साथ-साथ प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट एवं विविध आवश्यकताओं और उनके अनुकूल सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

- 2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 2047 में 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी को देश के लोगों के करीब लाने और उन्हें सही राह दिखाने में राज्यपाल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- राज्यपालों और राज्य सरकारों को भी भारतीय संविधान में विभिन्न सेवा पहलुओं को उजागर करने की दिशा में काम करना चाहिए, विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में। इससे सही मायने में सभी की भागीदारी वाला शासन स्थापित करने में मदद मिलेगी।

7. डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट समारोह

- हाल ही में चार दिवसीय समारोह 'डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट' का आयोजन आईआईटी, बीएचयू के परिसर में किया गया।
- 'डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट' समारोह दर्शकों को पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का सीधा अनुभव कराएगा। समारोह में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक दलों के साथ भागीदारी किया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शेष भारत को पूर्वोत्तर के समीप लाना और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराना है।
- समारोह के दौरान दर्शकों को पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और कलाकारों द्वारा उनके हथकरघे और हस्तशिल्प का सीधा अनुभव देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
- कार्यक्रम में देशी खेलों का आयोजन भी किया गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्राचीन संस्कृति, विविध हथकरघा और सूती उत्पादों, आध्यात्मिक विरासत और जीवंत पर्यटन केंद्रों के मामले में कई समानताएँ नजर आती हैं।
- संगीत पूर्वोत्तर क्षेत्र की आत्मा है। डेस्टीनेशन नॉर्थ-ईस्ट समारोह में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े कलाकारों के साथ-साथ देश के अन्य भागों के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी।
- जैविक उत्पादों के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जैविक उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण, जल, पर्यटन विकास जैसे विषयों पर समूह संगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें विषय से जुड़े विशेषज्ञों ने भागीदारी की।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. एसडीजी-7 के लक्ष्य की प्राप्ति में वैश्विक प्रगति

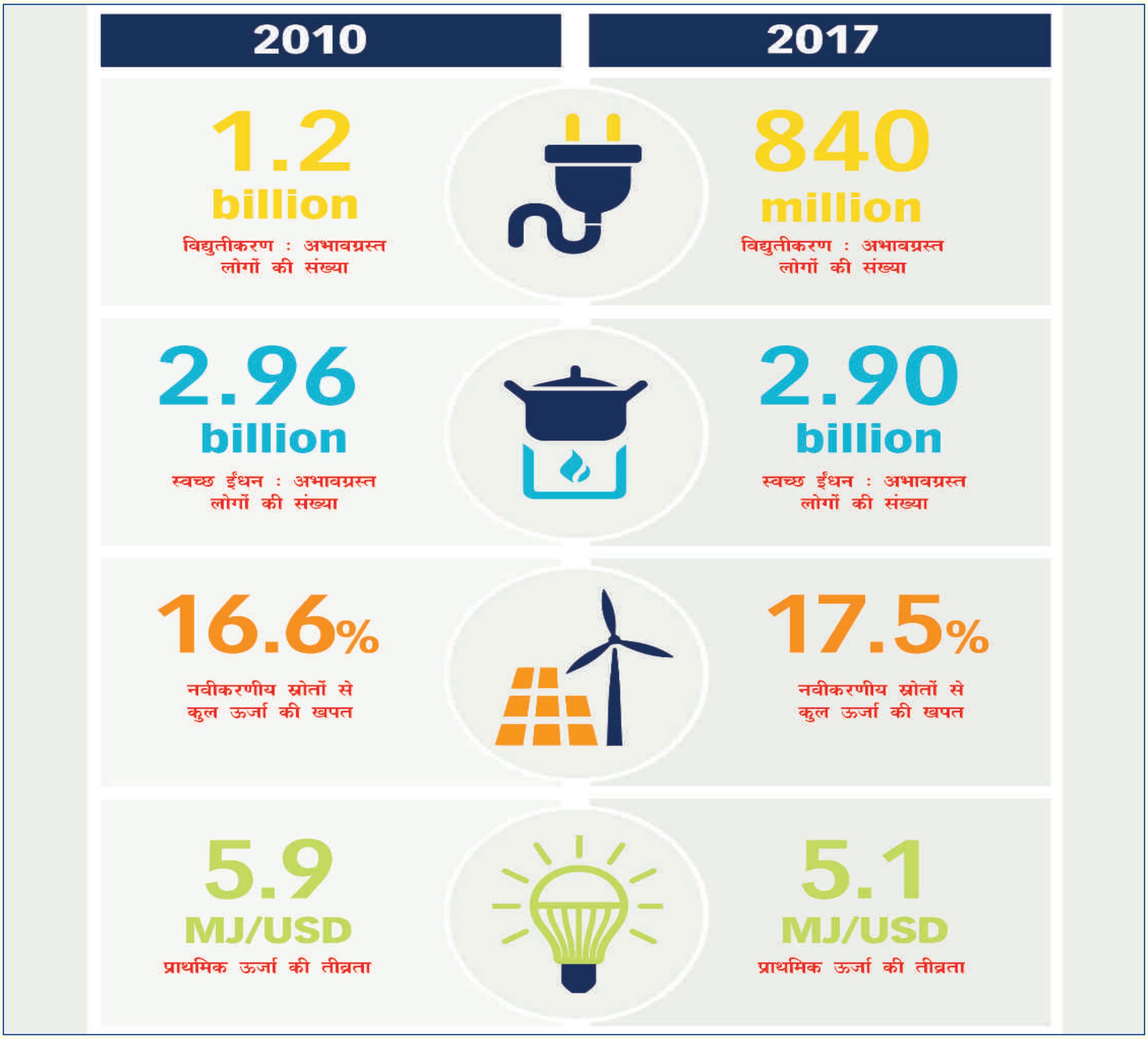

महत्वपूर्ण तथ्य

- सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी-7 का उद्देश्य है कि 2030 तक हर किसी को सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुलभ हों। भारत सरकार का राष्ट्रीय सौर मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में चल रहे काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयासों तथा नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं से भारत सब जगह, सबके लिए ऊर्जा सुलभता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का प्रयास है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ाया जाए।

2. वर्ष 2010-2017 के बीच विद्युतीकरण में कमी

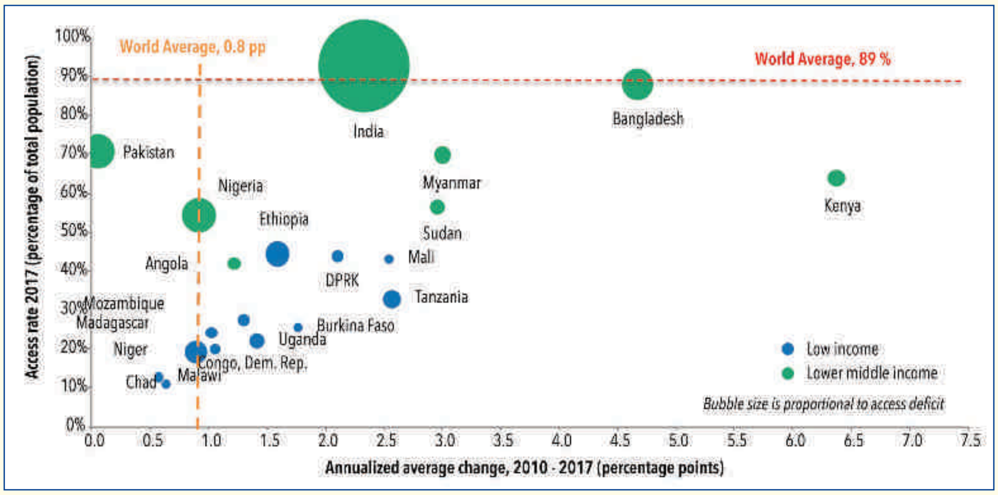

महत्वपूर्ण तथ्य

- विकासशील देशों में सरकारों के प्रयासों से वैश्विक विद्युतीकरण दर 2017 में 89 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो 2010 में 83 प्रतिशत थी। हालांकि इसके बावजूद 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जहाँ विद्युत की पहुँच नहीं है।
- विद्युतीकरण के दर की बात करें तो पाएंगे कि औसत वार्षिक विद्युतीकरण की दर 0.8 प्रतिशत है। 2010 के बाद से 920 मिलियन लोगों तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है।
- मध्य और दक्षिण एशिया में विद्युतीकरण के प्रयास विशेष रूप से सफल रहे हैं, जहाँ 91 प्रतिशत आबादी के पास 2017 तक बिजली की पहुँच थी। सबसे बड़ी आबादी वाले 20 देशों में बिजली की पहुँच में कमी दर्ज की गई है, हालांकि 2010 के बाद से भारत, बांग्लादेश, केन्या और म्यांमार ने विद्युतीकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में 2017 तक बिजली की पहुँच 98 प्रतिशत तक हो गयी है।
- उप-सहारा अफ्रीका (Sub-saharan) की बात करें तो यहाँ 573 मिलियन लोग बिना विद्युत के जीवन यापन कर रहे हैं। बुरूण्डी, चाड, मलावी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नाइजर ये चार ऐसे देश हैं जहाँ 2017 तक विद्युतीकरण की रफ्तार काफी कम थी। शहरों के अधिकांश अनौपचारिक बस्तियों में विद्युत वितरण व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पायी है। 2017 में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दर 79 प्रतिशत थी वहीं शहरों में यह 97 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

3. वर्ष 2010-2017 के बीच स्वच्छ ईंधन की पहुँच में कमी

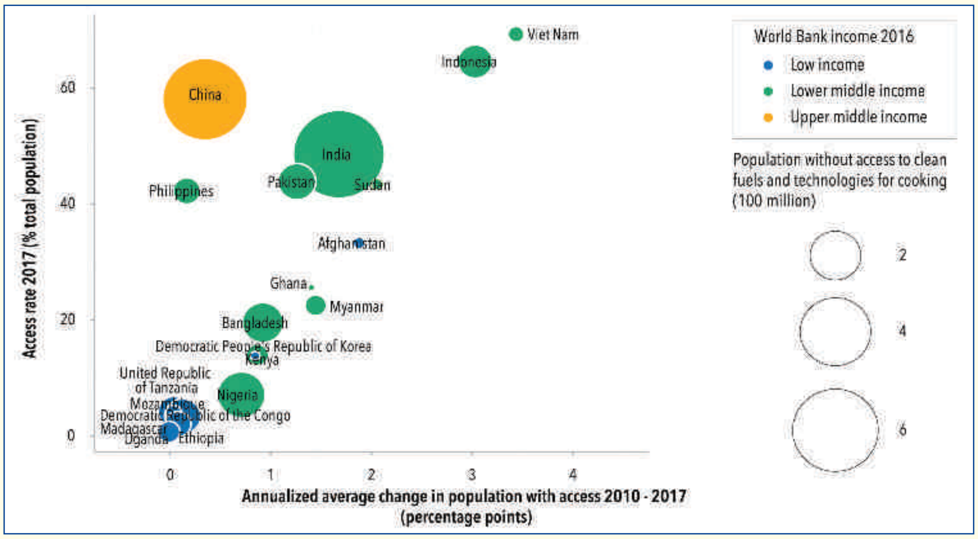

महत्वपूर्ण तथ्य

- खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच के साथ वैश्विक आबादी का हिस्सा 2010 में 57 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 61 प्रतिशत हो गया।
- अलग-अलग देशों की बात करें तो जहाँ भारत में 25 प्रतिशत लोग स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं वहीं चीन में 20 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खाना पकाने में स्वच्छ ईंधन व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों देशों की बात की जाए तो पाएंगे कि 1.3 बिलियन लोग अभी खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
- उपर्युक्त चित्र से पता चलता है कि 20 में से 6 ऐसे देश हैं, जहाँ स्वच्छ ईंधन का अभाव है। ये देश हैं- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, युगाण्डा और तंजानिया। तंजानिया की 5 प्रतिशत से कम आबादी खाना पकाने के लिए प्राथमिक साधनों के रूप में स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है।
- जानकारों का मानना है कि ऐसे स्थिति में 2030 तक हर किसी को स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा सेवाएँ सुलभ हों, मुश्किल लगता है। वर्तमान और भविष्य की नियोजित नीतियों के अनुमानों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2.2 बिलियन लोग खाना पकाने के लिए अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होंगे। इस आबादी का अधिकांश हिस्सा एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में निवास करेगा।
- 2030 तक स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एलपीजी (Liquid Petroleum Gas) का प्रयोग अपरिहार्य है। शहरी क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल से प्रदूषण पर नियंत्रण तो होता है, साथ ही स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचती है।

4. 1990 से 2016 तक कुल ऊर्जा उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा

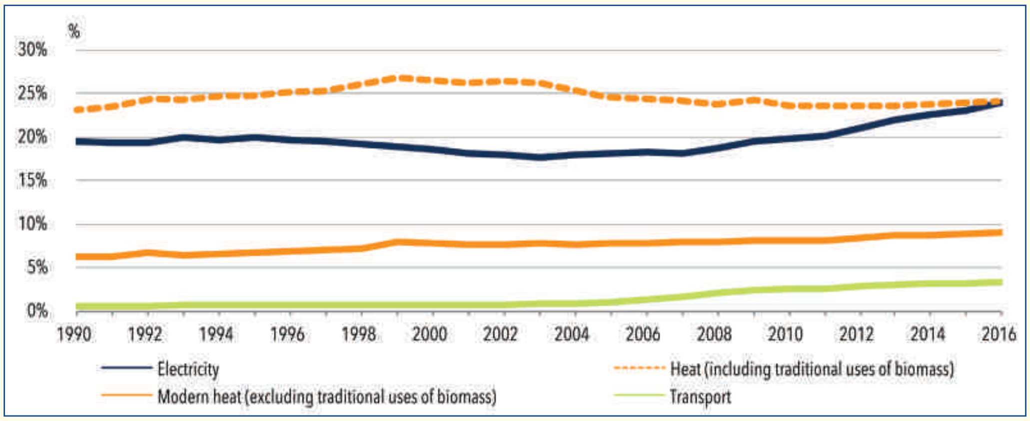

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2016 में, 2012 की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 17.5% हुई। 2016 में कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा (बायोएनर्जी के पारंपरिक स्रोतों को छोड़कर) की हिस्सेदारी 2010 में 8.6% से बढ़कर 10.2% तक पहुँच गई, जबकि बायोमास के पारंपरिक उपयोग की हिस्सेदारी 7.9% से 7.3% तक गिर गई।
- बिजली, ऊष्मा और यातायात में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है, इनमें पवन और सौर ऊर्जा का मुख्य योगदान है।
- 2016 में बिजली उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हिस्सा 1% से बढ़कर 24% हो गया है। यह 1990 के बाद सबसे तेज वृद्धि है और 2015 की तुलना में दोगुना। 2016 में 68% के साथ जल विद्युत, अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहा इसके बाद पवन ऊर्जा, बायोएनर्जी, सौर ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा का स्थान आता है।
- ऊर्जा उपयोग के तीन क्षेत्रों में से ऊष्मा में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक हुआ। साल दर साल 0.5% की वृद्धि के साथ यह हिस्सा 24% तक पहुँच गया। हालांकि इसमें अधिक हिस्सा बायोमास के पारंपरिक उपयोग को दर्शाता है। 2016 में ऊष्मा प्राप्ति के लिए आधुनिक अक्षय ऊर्जा का सिर्फ 9% ही उपयोग हुआ है।
- यातायात में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की हिस्सेदारी सबसे कम रही जो 0.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 2016 में 3.3% रही। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन से रेलवे और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी तेजी आयी।

5. प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता की वृद्धि दर

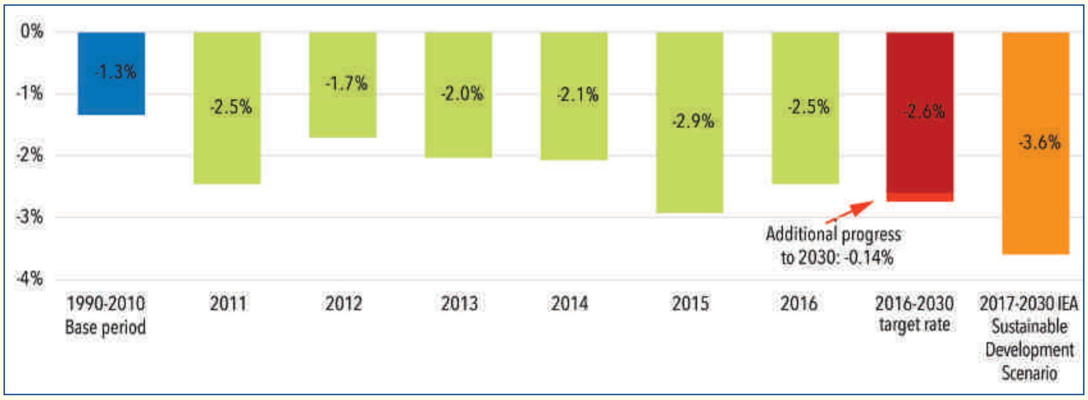

महत्वपूर्ण तथ्य

- वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता में सुधार की दर (जिसे एक यूनिट जीडीपी के उत्पादन में लगी प्राथमिक ऊर्जा में कमी के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है) 2010-2016 में 1990-2010 की तुलना में अधिक स्थिर थी।
- 2016 में वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता 5.1 MJ/USD थी, 2015 के स्तर से इसमें 2.5% का सुधार हुआ फिर भी यह एसडीजी 7 के लक्ष्यों को पाने में नाकाफी है। 2017-18 में सुधार की दर में और गिरावट देखी गई और 2018 में सुधार की दर गिरकर मात्र 1.3% रह गयी।
- वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा तीव्रता में सुधार की दर आपूर्ति-पक्ष के कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है, जिनमें जीवाश्म ईंधन की दक्षता तथा विद्युत हस्तांतरण एवं वितरण में हुई क्षति प्रमुख है।
- एसडीजी 7 के लक्ष्य को देखते हुए ऊर्जा तीव्रता में सुधार की संभावना कम है। वर्तमान और नियोजित नीतियों को देखते हुए 2017 से 2030 तक ऊर्जा तीव्रता में सुधार का अनुमान 2.4 प्रतिशत वार्षिक ही है।
- अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अधिकतम किया जाता है तो 2017 से 2030 के बीच ऊर्जा तीव्रता में सुधार की दर 3.6% तक पहुँच सकती है।

6. 2010 से एसडीजी-7 की प्रगति

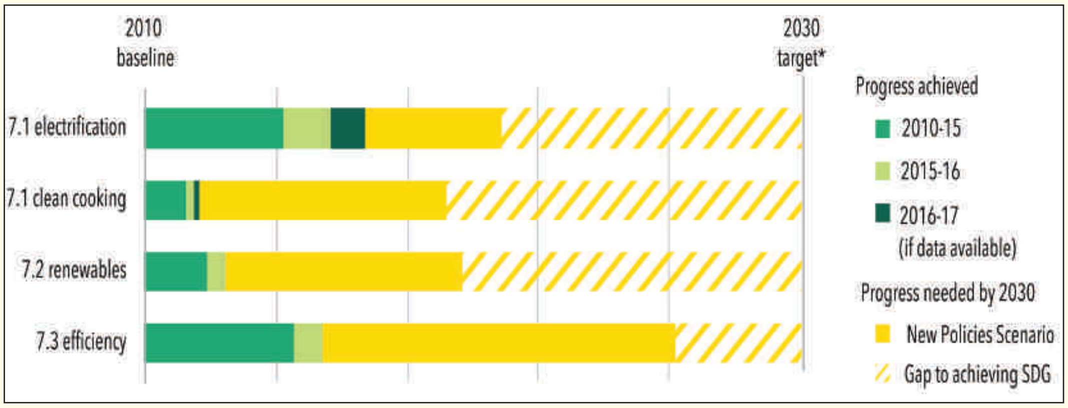

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में दुनिया एसडीजी-7 के लक्ष्यों की राह पर नहीं है। नई नीतियों के परिदृश्य में, विशेषकर विकासशील एशिया में बिजली की पहुँच के विस्तार में प्रगति, प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा तीव्रता में सुधार और नीतिगत सुधार के बावजूद एसडीजी-7 के लक्ष्यों में कमी आने की उम्मीद है।
- एसडीजी-7.1.2 (भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन) और एसडीजी-7.2 (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
- 2.2 बिलियन लोगों तक अभी भी खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का अभाव है और 2030 तक आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा केवल 15% तक पहुँच पायेगा।
- एसडीजी संकेतक 7.1.1 (बिजली) और लक्ष्य 7.3 (ऊर्जा दक्षता) पर प्रगति बेहतर होने की उम्मीद है लेकिन सभी क्षेत्रों में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- नई नीतियों के परिदृश्य में भी एसडीजी-7 के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता, सतत् विकास के इस लक्ष्य को पाने के लिए लागत प्रभावी तरीके को ही अपनाना होगा।
- यदि कुल अंतिम ऊर्जा उपयोग में आधुनिक अक्षय ऊर्जा को 22% तक और वार्षिक ऊर्जा तीव्रता को सुधारकर औसतन 3.6% प्रतिवर्ष किया जाये तो 2030 तक सतत् विकास परिदृश्य में बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की सार्वभौमिक पहुँच को प्राप्त किया जा सकता है।

7. एसडीजी-7 की प्राप्ति के लिए आवश्यक निवेश

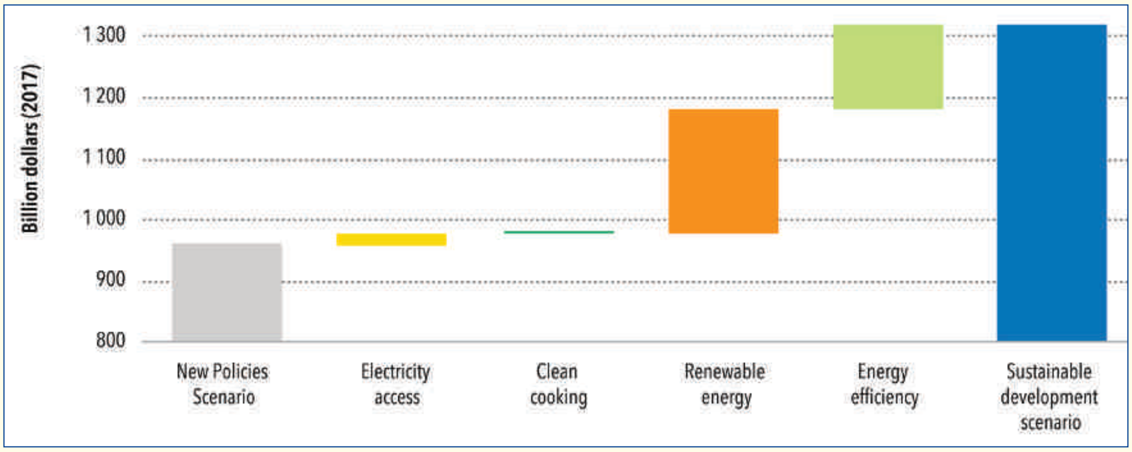

महत्वपूर्ण तथ्य

- नई नीतियों के परिदृश्य में 2030 तक निर्धारित ऊर्जा के लक्ष्यों तक पहुँच बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2018 से 2030 के बीच औसतन 950 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष निवेश की आवश्यकता है।
- कुल निवेश का 31 बिलियन डॉलर ही ऊर्जा पहुँच के लिए है जिसका अधिकांश हिस्सा (97%) बिजली में ही खर्च होता है और शेष स्वच्छ भोजन पकाने में।
- हालांकि, 2030 तक सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच को प्राप्त करने के लिए 55 बिलियन डॉलर वार्षिक खर्च के साथ 4 बिलियन डॉलर वार्षिक खाने पकाने के लिए व स्वच्छ ईंधन के विस्तार के लिए आवश्यक है।
- एसडीजी-7 की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगभग 400 बिलियन डालर वार्षिक है। जिसमें से कुल ऊर्जा उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा को 22% तक बढ़ाने के लिए ही 200 बिलियन डॉलर वार्षिक की आवश्यकता है
- नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने से प्रतिवर्ष जीवाश्म ईंधन के उपयोग में 2350Mtoe की कमी और प्रतिवर्ष में 280 बिलियन डॉलर की बचत किया जा सकता है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.
Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.
Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |